[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

से बात करके अविलम्ब घोषणा करें क्योंकि अध्यापकों में असंतोष हो रहा है। छात्रों में भी असंतोष है तथा उनके अभिभावकों में भी असंतोष व्याप्त है। यह जो शिक्षक वर्ग है इनके जो वेतनमान हैं यह इनको मिलने ही चाहियें इसीलिये मैंने इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Poddar. He is not here. The House is now adjourned for lunch till 2-30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirtyseven minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock. **The Vice-Chairman (Shri H. Hanumanthappa)** in the Chair.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1987—(to amend article 326)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : श्रीमन मैं विधायक को पून : स्थापित करता हूं।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1987 (insertion of new article 16A)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMENDMENT) BILL, 1987

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) BILL, 1985 (to amend Article 324) —(*contd.*)

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय हमारे मित्र श्री मालवीय जी ने कहा है :

"निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा यदि कोई हों, तो, अन्य उतने निर्वाचन आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा उस लिए बनाई हुई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।"

"जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।"

उन्होंने अपने संविधान के उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है कि :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2)-(3) में यह

अधिकथित किया गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा, यदि कोई हो, तो, अन्य उतने निर्वाचन आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा उस लिए बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।"

निर्वाचन आयोग मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है व्यवहार में, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग बन गया है।

निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति प्राधिकारी मंत्रिमंडल के कार्यक्षत्र और अधिकारिता के परे होन चाहिए और उनकी नियुक्तियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

हाल ही में, चुनाव सुधारों की सार्वजनिक मांग की जाती रही है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के समस्त निर्वाचनों के संचालन की आत्यंतिक शक्ति का किसी एक व्यक्ति में संकेन्द्रण न जो न्याय संगत है और न ही उचित है। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के कायक्षेत्र के परे होनी चाहिए जिससे कि निर्वाचनों का संचालन स्वतंत्र, उचित और निष्पक्ष हो सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सत्य प्रकाश मालवीय के इन विचारों से सहमत नहीं हूं और हमारे देश में जो निर्वाचन की प्रक्रिया को हमारे संविधान निर्माण करने वाले लोगों ने बनाया है, मैं उसी से सहमत हूं। बार-बार सदन के अंदर यह बात करना कि जो निर्वाचन आयोग हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों भारत की संविधान सभा में बैठ कर जो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए चुनाव आयोग बनाया, उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

यह हमारे भारत की खुशकिस्मती है कि पिछले चालीस वर्षों से हिंदुस्तान में जनतंत्र और लोकतंत्र का चिराग जल रहा है। दुनिया में जितने भी विकासशील देश हैं, एशिया, अफ्रीका से नौ स्वतंत्र देश, उन मुल्कों में आज जनतंत्र या तो समाप्त हो गया है, या लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, या लोकतंत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिवा गया है। आज हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पिछले चालीस वर्षों में लोकतंत्र का चिराग जल रहा है विकासशील देशों में।

निर्वाचन आयोग ने 1952 से लेकर 1984 तक में जितने चुनावों का संचालन किया है, वह निष्पक्षतापूर्ण किया है। हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अन्य राष्ट्रों के जो आबजरवर जो पर्यवेक्षक हमारे देश में आये हैं, उन्होंने हमारे देश की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा की है और जिस निष्पक्षता और जिस ईमानदारी और सच्चाई से हमारे देश में चुनावों का संचालन हुआ है, वह दुनिया के लिए एक अनुकरणीय विषय है।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे मित्र मालवीय जी जोकि राजनीति के बहुत ही कुशल ग्रासरूट वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बार-बार लोकशाही और जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर शंका प्रकट करने की जो उनके मन में बार-बार चीजें उत्पन्न होती हैं, यह कहां तक लोकतन्त्र को मजबूत करने वाली चीज है? क्या न्यायपालिका कोई ऐसी चीज है, जोकि आपसे बड़ी ऊंची है, या न्याय पालिका के अन्दर जो लोग हैं, वह इस देश के रहने वाले नहीं हैं, या इस मुल्क के वर्ग और जाति को

[श्री कल्पनाथ राय]

रिप्रजेंट नहीं करते हैं ? इस तरह की और कौन जिम्मेदारी लेगा ?

श्रीमन्, हमारे मित्र आदरणीय कानून मंत्री, श्री भारद्वाज जी से मेरी बात इस संबंध में हो रही थी---विभिन्न राज्यों के चुनाव आयुक्तों ने सर्व-सम्मति से यह राय दी है कि पूरे देश के लिये एक ही चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, वही रहनी चाहिये, क्योंकि चुनाव की जम्मेदारी कौन लेगा ?

आज राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है ? पूरे देश के सामने आजादी के बाद आज सबसे बड़ा सवाल है, भारत की अखंडता और एकता। देश में क्षेत्रीयता की, जातीयता की, साम्प्रदायिकता की शक्ति जिस पैमाने पर उभर रही है, वह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिये चुनौती बन कर के खड़ी हो रही हैं और दुनियां की वह साम्राज्यवादी ताकतें जो भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में नहीं उभारने देना चाहतीं, वह साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, नव-उपनिवेशवादी शक्तियां हिन्दुस्तान में डीस्टेबेलाइजेशन, अस्थिरता का वातावरण पैदा करना चाहती हैं और इस समय हिन्दुस्तान की आजादी को जितना बड़ा खतरा आज है, उतना बड़ा खतरा न तो व जवाहर लाल के जमाने में था और न उतना बड़ा खतरा लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में था और न ही उतना बड़ा देश की आजादी को खतरा श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में था। आज हमारे देश के राजीव गांधी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार चल रही है, आज हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता को जितना बड़ा खतरा देश की अन्दरुनी ताकतों से है और देश की बाहरी शक्तियों से है, उतना बड़ा खतरा कभी नहीं था। आज देश की राजनीतिक स्थिति ऐसी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी अपनी पार्टी में प्रस्ताव किया है कि इस मुल्क में अब संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली को लागू किया जाए। क्यों ? दो एग्जीक्यूटिव पावर, एक प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हैड और दूसरी तरफ राष्ट्रपति, ए डयूल सिस्टम आफ कार्यपालिका नहीं होना चाहिये। पूरे देश का नेता पूरे देश की जनता के द्वारा इलैक्ट किया जाना चाहिये। देश का नेता एक होना चाहिये। अमरीका या फ्रांस की तरह जो पूरे राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझता हो।

He is to be elected by all the people of the country.

कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक सारे भारत की जनता जिस नेता को इलैक्ट करे, चाहें वह नेता राष्ट्रपति के रूप में हो या प्रधान मंत्री के रूप में हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक या राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, उसमें उन्होंने इस विचार को माना और यह कहा है। जब राष्ट्रपति शासन की बात श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में हुई तो हमने इसका विरोध किया। हमें उस प्रणाली पर विश्वास नहीं था। लेकिन देश की बदलती हुई वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि हिन्दुस्तान का एग्जीक्यूटिव हैड बन होना चाहिये और वह राष्ट्रपति कहिये या प्रधान मंत्री कहिये, लेकिन जनता के द्वारा चुना हुआ हो। पूरे देश की जनता जिसको इलैक्ट करती है, वह होना चाहिये। आज यह परिस्थिति आ गई है और मालवीय जी ने प्रस्ताव लाया है कि वे चुनाव आयोग पिछले 40 वर्षों से देश के चुनावों का संचालन करता रहा है और जिस चुनाव आयोग के विभिन्न अध्यक्षों को सारे राष्ट्र ने स्वीकार किया है और दुनियां के अन्य देशों के पर्यवेक्षकों ने भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईमानदारी की प्रशंसा की और जो 40 वर्षों से भारत में चुनावों का संचालन करता आ रहा है, वह बदल दिया जाये। यानी जो चीज अच्छी है, उसको बदल कर तीन-चार आदमियों को

बना दीजिये । फिर कौन जिम्मेदारी लेगा ? कोई गड़बड़ी होगी, तो कोई कहेगा कि इसकी गलती है, दूसरा कहेगा, इसकी गलती है, तीसरा कहेगा, इसकी गलती है । लेकिन चुनाव प्रणाली की जिम्मेदारी कौन लेगा ? आज देश के अन्दर जब उसकी एकता और अखंडता को भारी खतरा है, देश में जातीयता की, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायितकता की ताकतें, राष्ट्र को जोड़ने वाली ताकतें, जनघाती और राष्ट्रघाती ताकतें भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती हैं, तो यह देश के लिये एक चिन्ता का विषय है विषय बन गया है । ऐसे दौर में हिन्दुस्तान की एग्जीक्यटिव का हैड एक होना चाहिये, जो डायरेक्ट पीपुल्ज के द्वारा इलैक्ट किया जाना चाहिये The Prime Minister should be elected by the people of India, or the President should be elected by the people of India.

वह संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति न हो, वह चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़े या प्रधान मंत्री के चुनाव लड़े, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और गुजरात रात से लेकर असम तक उसके दिमाग में सारा भारत एक हो और तब उसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय होगा, तब उसका नेशनल दृष्टिकोण होगा, तब वह नेशनल परस्पैक्टिव में विचार करेगा और तब जो हमारे शहीदों के खून से भारत की आजादी हासिल हुई, वह टूट नहीं पायेगी । आज केवल सरकारी पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान के विरोधी दल की सारे नेताओं की यह जिम्मेदारी है । राष्ट्र एक रहेगा कि नहीं रहेगा, कन्ट्री की एकता रहेगी या नहीं रहेगी, देश की अखण्डता रहेगी या नहीं रहेगी, आज यह सब से बड़ा सवाल है । आज गरीबी हटाओ का उतना बड़ा सवाल नहीं है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का उतना बड़ा प्रश्न नहीं है, जितना बड़ा प्रश्न आज देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने का है । भारत को देश के अन्दर की जनघाती और राष्ट्रघाती ताकतों से बचाना है और साम्राज्यवादी ताकतों से, उपनिवेशवादी षड़यंत्रों से दुनिया की उन ताकतों से जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत की आजादी, एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती हैं, उनसे भारत को बचाना है । ऐसे वक्त में जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्ज ने देश की आजादी की लड़ाई के सेनानियों ने जो चुनाव आयुक्त का निर्माण किया । वे फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, उनके सामने देश था, उनके सामने राष्ट्र था । उन्होंने पूरे राष्ट्र को अपने सामने रखकर भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसमें पण्डित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और डा0 अम्बेडकर जैसे दुनियां के बड़े मनीषी बड़े-बड़े विद्वान , बड़े-बड़े आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानी संविधान-सभा में थे । उस संविधान सभा के लोगों ने भारत के इस चुनाव आयोग का निर्माण किया और जिस दृष्टि से उन नेताओं ने इसकी रचना की, उसके अनुकूल ही भारत का चुनाव आयोग स्थापित हुआ । पिछले 40 वर्षों में किसी भी देशी या विदेशी व्यक्ति ने चुनाव की निष्पक्षता की ओर कभी कोई अंगुली नहीं उठाई ।

उप-सभाध्यक्ष महोदय, चुनाव सुधारों की बात की जाती है । हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने चुनाव-सुधार के लिये पहल की है । हमारी पार्टी के अन्दर संसदीय दल ने, हमारी पार्टी ने भी कहा है कि हिन्दुस्तान के बदलते हुए संदर्भ में हिन्दुस्तान के चुनावों में क्या सुधार लाये जायें, इस बदलते हुए संदर्भ में देश में पार्टी के सब लोग एक पूरे देश में बहस करें और बहस के बाद जो एक राष्ट्रीय मतक्य हो, उसके आधार पर हमें चुनाव सुधार को लागू करना चाहिये । विरोधी दल की भी यह जिम्मेदारी है । हम चाहेंगे हिन्दुस्तान के सारे विरोधी दल, हिन्दुस्तान की सरकारी पार्टी—कांग्रेस पार्टी, कांग्रेसी सरकार सब मिलकर चुनाव-सुधार के संबंध में बहस करें, राष्ट्रीय मतैक्य की स्थापना करें और जिन मुद्दों पर पूरे राष्ट्र की ओपीनियन एक हो, उस पर हमारे ला-मिनिस्टर श्री भारद्वाज जी उसे कानन का रूप देंगे । यह सब ज

[श्री कल्पनाथ राय]

होगा, तभी किसी मुल्क में लोकतन्त्र, जनतन्त्र मजबूती से चलता है ।

उप-सभाध्यक्ष महोदय, मालवीय जी, राजनीति में बहुत पुराने साथी हैं । आप जानते हैं कि आज देश की क्या अवस्था है । आप एक छोटी सी पार्टी की एकता तो बनाकर रख नहीं सकते, जिसको लोक दल कहते हैं, जिसके आप महा मन्त्री हैं । आज आपका दल टूट कर टुकड़े-टुकड़े में बंट गया है । आज हमें पूरे देश को एकता में बांध कर चलना है, उसको कहां तक हम मजबूत करेंगे, यह देखना है, । लेकिन आप उसको तोड़ कर नष्ट करें, यह कोई ठीक बात नहीं है । यह कहने-करने में फक नहीं है .... (व्यवधान) ....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : .... (व्यवधान) ... कल्पनाथ जी, लोक दल टूटना नहीं चाहिये, मैं आपकी यह राय पार्टी के सम्मुख पहुंचा दूंगा .... (व्यवधान) .....

श्री कल्पनाथ राय : नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी देश में लोकतन्त्र की मजबूती के लिये शशक्त विरोधी दल का रहना अत्यावश्यक है, जिम्मेदार विरोधी दल का रहना जरूरी है और एक ताकतवर विरोधी-दल का रहना जरूरी है..... (व्यवधान) .....

श्री एच० आर० भारद्वाज (विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री) : वह तो लोक दल है ही नहीं .....

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय, उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह मुल्क का दुर्भाग्य है कि अब एक छोटी-मोटी एक प्रान्त की पार्टी यह नहीं चला सकते। दो-चार जो छोट-छोटे नेता हैं, उनको मिला कर यह चल नहीं सकत । जिन्होंने हिन्दुस्तान को दखा नहीं है कि नागालैण्ड कहां है, कहां अरूणाचल प्रदेश है, कहां त्रिपुरा है, वही आपके आज अध्यक्ष हैं । अब जिन्होंन हिन्दुस्तान को देखा नहीं, वही हिन्दुस्तान पर विचार कर रहे हैं। वाह री हमारे देश की राष्ट्रीय प्रणाली, हमारे देश को व्यवस्था । पूरे देश को क्या, आध को भी नहीं देख हैं, उनके नेतृत्व में आप चलना चाहते हैं ।

आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, अब यह संशोधन ला दिये हैं कि इसमें कमीशन . तीन बनाये जायें और बड़ा भारी इन्हें जुडिशियरी पर विश्वास है, न्यायपालिका पर । हमारे देश में लोक तन्त्र, सेकुलरिज्म, धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रीयता जितनी व्याप्त हैं, दुनियां के किसी भी देश में आप मुझे बताइये कि किस मुल्क में इतने आदर्श मूल्य हैं, जहां लोकतंत्र भी हो और समाजवाद भी हो ? समाजवाद को हम लोकतंत्र के माध्यम से लायेंगे । अगर दुनिया के कुछ-कुछ मुल्कों में समाजवाद है तो लोकतंत्र नहीं है और अगर लोकतंत्र है तो समाजवाद नहीं है, अगर समाजवाद बन रहा है तो सेकुलरिज्म नहीं है सेकुलरिज्म है तो नेशनलिज्म नहीं है । हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सैनानियों ने, जिन्होंने भारत को आजाद कराया महात्मा गांधी की रहनुमाई में, कितने ही मूल्यों की, आदर्श मूल्यों की स्थापना भारत के संविधान के प्रीएम्बल में की । यदि आप यह कहते कि समाजवाद की स्थापना के लिये न्यायपालिका की सत्ता को कम किया जाये the Judiciary should be subordinate to the executive. तब तो बात समझ में आती है एसी दशा में कैसे आप समाजवाद लायेंगे ? आज हिन्दुस्तान के अन्दर जो भी समाजवादी परिवर्तन या आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये कानून बने हुये हैं, न्यायपालिका उनके विरोध में फैसला करेगी । बैंकों का राष्ट्रीय-करण हो या राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त करनें हों, न्यायपालिका ने उनके खिलाफ फैसला दिया । लैंड रिफार्म्स या भूमि-सुधार के कानूनों के खिलाफ न्यायपालिका ने फैसला दिया । भूमिहीनों को भमि मिले या मजदूरों को दौलत में हिस्सा मिले यानि जो भी सामाजिक या आर्थिक परिवर्तनों के कानून हों, भारत की संसद के जो भी प्रतिनिधि ऐसे कानून लायेंगे, न्यायपालिका उसका विरोध करेगी । माफ कीजिये जिसके अन्दर निहित स्वार्थ हो, जिनका दृष्टिकोण नेशनल पर्सपेक्टिव में नहीं होगा व इसके विरुद्ध फैसला करेंगे । श्रीमती

इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन किया और संविधान के प्रियेंबल में लिखा कि इंडिया इज कमिटेड फार सोशलिज्म, इंडिया इज कमिटेड फार सेक्यूलरिज्म । चाहे हमारी पार्टी की सरकार हो या विरोधी पार्टी की सरकार हो, हम समाजवाद की स्थापना के लिये संकल्पबद्ध हैं । समाजवाद की स्थापना के लिये जब समाजवादी कानून हम लायेंगे तो न्यायपालिका उसके विरुद्ध फैसला करेगी । पूरे चालीस वर्ष के अन्दर जो भी चेष्टा चाहे श्री जवाहरलाल नेहरू ने की हो या श्रीमती गांधी ने की या राजीव गांधी जी करेंगे, न्यायपालिका ने उसके खिलाफ फैसला किया । आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका के उसमें लोग हों चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में और वह भी तीन सदस्य हों । अपना हाथ आप खुद काटना चाहते हैं ? श्री राजीव गांधी जिनके ऊपर सारे देश ने विश्वास किया और 410 संसद की सीटें जितवाई, वे जनहित के लिये कोई काम करना चाहें और जज उसके खिलाफ फैसला करें तो क्या कोई काम हो पायेगा ? हमारे मुल्क के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र न्यायपालिका, एक्जीक्यूटिव और विधायिका का निर्माण किया है । लेकिन हमारे देश में जितने आदर्शों और जितनी मात्रा में सेक्युलरिज्म की स्थापना की है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है । आज सांप्रदायिक ताकतें, जातीयता की ताकतें, क्षेत्रीयता की ताकतें सिर उठा रही हैं, भारत की एकता को तोड़ना चाहती हैं । दूसरी तरफ दुनियां के तमाम साम्राज्यवादी देश, उपनिवेशवादी देश हिन्दुस्तान को डिस्टेबिलाइज करना चाहते हैं । भारत की आजादी को जितना बड़ा खतरा आज है, उतना बड़ा खतरा कभी नहीं था । ऐसे वक्त पर न केवल कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, वरन् हिन्दुस्तान के सभी विरोधी दलों की जिम्मेदारी है कि हमारी प्रायोरीटीज क्या है उसको समझें । भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की राष्ट्रीयता की रक्षा के लिये सारा राष्ट्र एक है, एक जुट है, इस भावना से पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को नेताओं के हाथ मजबूत बनाने चाहिये । अगर देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता को आप नहीं बचा पायेंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा । लोक तंत्र नहीं रहेगा तो आपकी पार्टी कैसे बच पायेगी ? आप दो प्रांतों की पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं तो आप देश को कैसे बचाएंगे ? तो आप प्रेक्टिकल बात कीजिये ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मालवीय जी को बधाई देता हूं, कि आप अपनी पार्टी की तरफ से रेजुलेशन लाये कि भारत के संविधान में संशोधन किया जाये कि जो राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेजीडेंट हो वह पूरे राष्ट्र के द्वारा इलेक्ट हो । महोदय अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, 10 हजार ऐक्जीक्यूटिव को ऐपाइंट करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है । तब मुल्क के अन्दर वहां का प्रेजीडेंट कुछ कर सकता है । लेकिन हमारे यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या आप की सरकार आ जाये, नौकरशाही वही रहेगी, सिविल सरवेंट वही रहेंगे । आज जो एन० टी० रामाराव आंध्र के नेता हैं उनका जो दृष्टिकोण है, वही क्या उनके तेलगु देशम के जो नेता श्री सत्य नारायण रेड्डी जी हैं, उनका भी है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : मैं अपने भाषण में बता दूंगा । अभी नहीं ।

श्री कल्पनाथ राय : आपने कहा था कि हम भारत देशम् बनायेंगे । क्यों नहीं बनाया आपने भारत देशम्? क्यो नहीं हिन्दुस्तान के पैमाने पर आपने कोई दल बनाया ? अगर कांग्रेस सरकार नहीं रहेगी तो उसका क्या राष्ट्रीय विकल्प होगा यह मैं जानना चाहता हूं । जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आयी तब उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दो चीजों की घोषणायें की थीं । एक तो एन्टी डिफेक्शन बिल के बारे में कहा था और दूसरा चुनाव सुधार के बारे में । किसी भी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जनता की अदालत में दिया गया हलफनामा होता है ।

The election manifesto of a political party is an affidavit in people's court.

जनता की अदालत में आपने हलफनामा लिया कि अगर हमारी पार्टी पावर में आयेगी तो हम चुनाव सुधार करेंगे और अपने देश के अन्दर एंटी डिफेक्शन कानून बनायेंगे । एक भी काम आप नहीं कर सके । तीन बरस आपने हुकूमत की । क्यों आपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा

[श्री कल्पनाथ राय]

किया ? क्यों नहीं आप एंटी डिफेक्शन बिल लाये ? आप को हमारे प्रधान मंत्री जी को बधाई देनी चाहिये कि सत्ता में आने के तुरन्त बाद एंटी डिफेक्शन बिल लाये। भारत के राजनीति में साफ सुथरी जिन्दगी जीने का अवसर भारत के सारे नागरिकों को दिया। जहां तक चुनाव सुधार की बात है प्रधान मंत्री सहमत हैं। हमारी पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग में उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर चुनाव सुधार पर बहस होनी चाहिये। राष्ट्रीय मतैक्य स्थापित होना चाहिये। सारी विरोधी पार्टियों के लोग उस राष्ट्रीय मतैक्य में शामिल हों। सब मिलजुल कर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय मतैक्य स्थापित करें कि किन बातों को लेकर चुनाव सुधार किया जाये।

आज कानून है कि चार परसेंट जो पार्टी वोट पायेगी वह राष्ट्रीय पार्टी होगी। मैं चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल खत्म होनी चाहिये। इस मुल्क में राष्ट्रीय पार्टी वही मानी जाये जिसको कम से कम 20 परसेंट वोट मिले।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : राष्ट्रपति के चुनाव में भी हो।

श्री कल्पनाथ राय : मैं यह कह रहा हूं कि आज की बदलती हुई परिस्थिति में भारत के संविधान में ऐसा संशोधन होना चाहिये कि पूरे देश में राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्ट हो। यह मैंने कहा है। मैं यह कह रहा हूं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर यह प्रणाली कायम रहे रहे तो इस प्रणाली के अन्तर्गत यह एक अच्छा काम होगा। इस प्रणाली में यह होना चाहिए कि जो पार्टी 20 परसेंट वोट पाये वही राष्ट्रीय पार्टी मानी जाये। इससे कम वोट पाने वाली राष्ट्रीय पार्टी नहीं मानी जाये। हमारे कानून मंत्री जी जो 20 परसेंट वोट पाये उस पार्टी को क्या-क्या सुविधायें मिलनी चाहिएं उसके लिए कानून बनायें।

आज इस देश में कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक भी दल ऐसा नहीं है। अगर 50 भी लोक सभा के सदस्य चुनाव में किसी भी दल के चुन कर आते तो वह विरोधी पार्टी बनती। लेकिन एक भी असल में विरोधी पार्टी नहीं है। बरसाती मैंढकों की तरह चू-चू करती 20 पार्टियां हैं। इनके पास क्या राष्ट्रीय दृष्टिकोण है? समाजवाद का सपना साकार करने का क्या इनके पास कोई कार्यक्रम है? क्या नीति है इनके पास साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए इनके पास क्या रास्ता है? मुल्क में समाजवाद की स्थापना करने के लिए इनके पास क्या दृष्टिकोण है? भारत की अखण्डता और एक्ता को बचाने के लिए इनके पास क्या पोरुष है? राष्ट्र के अन्दर लोकतंत्र को बनाए रखने की इनके पास क्या गारण्टी है? सेक्यूलरिज्म कोई मामूली चीज नहीं है। आज साम्प्रदायिक ताकतें हिन्दुस्तान में माइनोरिटीज के नाम पर सैक्यूलरिज्म की बात करती हैं। आज साम्प्रदायिक ताकतें उभर रही हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की राजनीति में, हिन्दुस्तान में जो रेस्पेक्टिबिलिटी माइनोरिटीज को मिली हुई है वह दुनियां के किसी देश में नहीं है। हिन्दुस्तान में पारसी, बौद्ध, मुसलमान ये सारी माइनोरिटीज कम्यूनिटीज हैं। क्या दुनियां के किसी और देश में माइनो-

3.00 P.M. रिटीज की इतनी रेस्पेक्टिबिलीटी है जितनी हिन्दुस्तान में है? क्या पाकिस्तान में हिन्दुओं की कोई रेस्पेक्टिबिलीटी है? क्या बंगलादेश में है? क्या ईरान या इराक में माइनोरिटीज की कोई रेस्पेक्टिबिलीटी है? अमेरिका में हब्सियों की क्या कोई रेस्पेक्टिबिलीटी है? क्या इंगलैंड में आइरिश की कोई रेस्पेक्टिबिलीटी है। करोड़ों करोड़ मुसलमान रूस की कम्यूनिस्ट व्यवस्था में रहते हैं। क्या वहां पर उनकी कोई रेस्पेक्टिबिलीटी है? मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता बैठे हैं, वे हमें बतायें कि वहां पर माइनोरिटीज की क्या रेस्पेक्टिबिलीटी है?

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : उनकी वहां पर डिसरेस्पेक्ट क्या है ?

श्री कल्पनाथ राय : मैं बताता पूरे रूस में कम्यूनिस्ट व्यवस्था में उनके आज तक के इतिहास में एक भी माइनोरिटी का व्यक्ति प्रेसीडेन्ट बना है, प्रेसी-

डियम का मेम्बर बना है, जनरल सेक्रेटरी बना है, पोलिट ब्यूरो का मेम्बर बना है? इसका उत्तर जीरो है। चीन में जहां पर करोड़ों माइनोरिटीज के लोग रहते हैं, क्या वहां पर कोई माइनोरिटी का आदमी प्रेजीडेन्ट बना है, एक्जीक्यूटिव में आया है? वहां की पोलिटिक्ल हाइरार्की में उनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर छः छः माइनोरिटीज के व्यक्ति प्रेजीडेन्ट बने हैं, छः छः मुख्य मंत्री माइनोरिटीज के बने हैं, चीफ जस्टिस हुए हैं। श्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में 15 व्यक्ति माइनोरिटीज के हैं। दुनियां के किसी अन्य देश में क्या इतने लोग माइनोरिटीज के मंत्रिमंडल में हैं? इसलिए आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रपति और जनघाती लोगों से देश को बचाया जाए। जो सेक्यूलेरिज्म हिन्दुस्तान में हैं वह अन्य किसी देश में नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में माइनोरिटीज को इतनी रेस्पक्टिबिलीटी प्राप्त नहीं है जितनी हिन्दुस्तान में है। क्या पाकिस्तान में, बंगलादेश में, ईरान, इराक में, अमेरिका, इंगलैंड में माइनोरिटीज की कोई आवाज है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माइनोरिटीज के मामले में जो लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं वे जनघाती और राष्ट्रघाती हैं। देश तोड़क शक्तियों का हमें मुकाबला करना है। जो शक्तियां हमारे देश की एक्ता को नष्ट करना चाहती हैं उन से हमें देश को बचाना है। अगर हमें अपने देश में समाजवाद की स्थापना करनी है तो हमें सैक्यूलेरिज्म को इस देश में मजबूत करना होगा। अगर हमें इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, राष्ट्र की एक्ता का कायम रखना है, देश की अखण्डता को कायम करना है तो हमें राष्ट्रघाती और राष्ट्र विरोधी ताकतों को नष्ट करना होगा। अगर हमें दुनियां से साम्राज्यवाद को समाप्त करना है और देश में समाजवाद की स्थापना करनी है तो हमें राजीव गांधी जी के हाथों को मजबूत करना होगा। उनके हाथ मजबूत करना हमारा धर्म है। कम्यूनिस्ट रूस ने भी यह कहा है कि दुनिया में जो ताकतें साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं उन में हिन्दुस्तान सब से आगे है। दुनिया में हिन्दुस्तान वह सब से बड़ा देश है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए हम सब का यह धर्म है कि हम राजीव गान्धी की मदद करें। मैं श्री मालवीय जी से यह कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा इलैक्शन कमीशन बना है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और हमारे नेताओं ने जो संविधान हमारे लिए बनाया है, उसे संविधान की हम सब को रक्षा करनी है। डा० अम्बेदकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने य संविधान बनाया। यह संविधान दुनियां के महान् संविधानों में से एक है। इ। महान् संविधान की हमें रक्षा करनी है। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में सब से बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि हम अपने देश की रक्षा करें। आज हमारे सामने सब से बड़ा सवाल राष्ट्र की एकता का है। भारत की आजादी की रक्षा करने का है। हमें इस देश की आजादी को बचाना है। हमें इस देश की आज़ादी की रक्षा विदेशी ताकतों के षड़यंत्र से और देशी ताक तों के षड़यंत्र से करनी है। इसलिए भारत में ऐसी सत्ता होनी चाहिए चाहे प्रसीडन्ट वाला सिस्टम कहिये या प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम कहिए, इस में पूरे भारत की जनता अपने नेता को इलैक्ट करे और ऐसा नेता, पूरे भारत को, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारे राष्ट्र की एकता के सूत्र में बांधकर आगे चले। ऐसी परिस्थिति में उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग की जो वर्तमान व्यवस्था है वह सर्वोपरि है और इस व्यवस्था के अन्तर्गत ही हमने 40 सालों तक हिन्दुस्तान में चुनाव कराये हैं तथा यह व्यवस्था पिछले चालीस वर्षों में सर्वोत्तम व्यवस्था साबित हुई है। इस व्यवस्था को ही और मजबूत करना हमारा तथा सारे राष्ट्र का कर्तव्य है। उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने जो चुनाव सुधार आयोग की बात की है इस सन्दर्भ में तमाम विरोधी दलों के नेताओं को और सारी छोटी मोटी पार्टियों के नेताओं को कांग्रेस सरकार के हाथ बैठकर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और

[श्री कल्पनाथ राय]

आपस में सबको मिलकर वर्तमान बदलती हुई परिस्थितियों में मतैक्य के आधार पर चुनाव पद्धति में संशोधन करना चाहिए। मैं कानून मंत्री जी से चाहूंगा कि व इस दिशा में कदम उठायें। हमारे प्रधान मंत्री जी खुद यह चाहते हैं और उन्होंने एन्टी डिफेक्शन बिल पास कराया है और इस से उन्होंने राष्ट्र में एक नयी धारा बहाई है। मैं चाहता हूं कि चुनाव सुधार आयोग द्वारा हम हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास को सामने रखकर भविष्य के खुशहाल दिनों का निर्माण करें ताकि लोकतंत्र देश में निर्बाध रूप से चलता रहे और सारी दुनिया में विश्व शांति और विश्व विकास में भारत अपना योगदान देता रहे और हमारा देश का लोक तंत्र सारी दुनियां के लिए आदर्श हो और जिसकी नकल सारी दुनिया किया करे। इन शब्दों के साथ मैं मालवीय जी के इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : उप-सभाध्यक्ष महोदय, कल्पनाथ राय जी ने बड़े जोर शोर से यह बात बताने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान में सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो हिन्दुस्तान की एक्ता और अखंडता चाहती है और दूसरी पार्टियां नहीं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कहने से पूर्व क्या उन्होंने यह भी सोचा है कि हिन्दुस्तान की आजादी महात्मा गांधी की रहनुमाई में जो हासिल की गई क्या उसमें कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे क्या उसमें हिन्दुस्तान की करोड़ों करोड़ जनता, हिन्दुस्तान की सभी पार्टियों के लोग इस आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे ?

श्री कल्पनाथ राय : भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे।

श्री बी० सत्यनारायणय रेड्डी : हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों जो कांग्रेस के भीतर नहीं थे फिर भी व जेलों में गए और अपनी जान की कुर्बानी दी। उनको भुलाया नहीं जा सकता है। सिर्फ यह कहकर कि कांग्रेसी लोगों ने देश की आजादी हासिल की और यह केवल कांग्रेस ही कर सकती थी यह देश की गुमराह करने वाली बात है। ऐसा कहकर आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। देश की आजादी की लड़ाई के लिए देश के करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी और महात्मा गांधी की रहनुमाई में हिन्दुस्तान ने आजादी हासिल की। देश की आजादी हासिल होने के बाद सत्ता मिलने के बाद देश में कैसी शासन व्यवस्था होगी इसके लिए देश के नेताओं में, जो कांस्टिटुयेन्ट असैम्बली के नेता थे, उन्होंने देश को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए देश को ताकत-वर बनाने के लिए, देश की अखंडता को बनाये रखने के लिए एक संविधान हमारे सामने रखा। लेकिन कांग्रेस के नेता इस देश को एक न रख सके। हिन्दुस्तान में सत्ता में जो पार्टी आई उसने जल्द-बाजी कर के देश की अखंडता को नहीं बनाये रखा, उसको वह कायम नही रख सकी और एक हिस्सा हम से अलग हो गया। इसको आप छोड़िये। मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान में जो प्रावधान है उसके अंदर संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस के बारे में यहां पर बहस हो रही है। संविधान में कई बार संशोधन हुए हैं, कांस्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं और वे हुए हैं देश को मजबूत बनाने के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए यह नहीं कि देश को कमजोर बनाने के लिए, देश के लोगों को ज्यादा गरीब बनाने के लिए। यह उनकी सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा के लिए ही सोचे गए हैं। इसी सदन में पार्लियामेंट में उन पर चर्चा हुई और उसके बाद संशोधन की मांग की गई और उनको पास किया गया। मैं अपने मित्रों से यह चाहूंगा कि विरोधी दल के लोग जब कभी कोई बात कहते हैं या कोई संशोधन लाते हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि यह देश विरोधी है या देश को तोड़ना चाहते हैं या समाज को कमजोर करना चाहते हैं। यह मंशा नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। देश को तोड़ने में, देश को कमजोर बनाने में, समाज को कमजोर बनाने में विरोधी पक्ष वालों का ही सब से पहला हाथ रहेगा आप

ऐसा मत समझिये क्योंकि देश एक है, समाज एक है, सब देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के सारे लोग आजादी की लड़ाई में एकजुट होकर के लड़े हैं। देश और समाज को मजबूत बनाने में हम सब एक हैं। जहां तक आर्थिक नीतियों का प्रश्न है, उसके बारे में जरुर सत्ताधारी पार्टी से हम इख्तलाफ करते हैं ताकि देश को मजबूत बनाया जाए, देश की एकता को बनाए रखा जाए और समाज टुटे नहीं, देश टूटे नहीं। यह उद्देश्य कल्पनाथ राय जी का है और वे इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं और मैं भी जिन्दगी में किसी दूसरी पार्टी का मैम्बर नहीं रहा जो समाजवाद में यकीन न रखती हो, मैं समाजवाद में यंकीन रखता रहा चाहे किसी पार्टी में रहा हूं। फिर भी मैं आपको समाजवादी समझता हूं क्योंकि इस में आपको यकीन है। हिन्दुस्तान को आजाद हुए 40 साल हो गए हैं हमने यहां समाजवाद लाने में कितनी सफलता पाई है? आज देश को देखिये, कितने लोग ऐसे हैं, हजारों की तादाद में ऐसे गांव हैं जहां अभी तक साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया है, आज तक उनके लिए शौचालय का इन्तजाम हम नहीं कर सके हैं। कल किसी सदस्य ने इस सदन में कहा कि यह शर्म की बात है कि आज सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने के पहले इस दौरान में स्त्रियों को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है क्योंकि उनके लिए शौचालय का भी कोई प्रबन्ध हम नहीं कर सके जबकि हमें आजाद हुए आज 40 साल हो गए हैं। आज हम फाइव स्टार होटलों का निर्माण करने के लिए सोचते हैं लेकिन जो कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। मैं यह पूछता हूं हमने समाजवाद लाने में कितनी सफलता हासिल की है? यदि सही मायने में समाजवाद की तरफ बढ़ते तो हमारी गरीबी और बेरोजगारी की समस्यायें हल हो चुकी होतीं। इसलिए इस तरफ हम को सोचना चाहिए। अब ज्यादा लम्बी तकरीर न करते हुए, मालवीय जी ने जो संशोधन लाया आर्टिकल-324 में, वह मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं वह इस प्रकार

"In article 324 of the Constitution,--

(a) for clause (2), the following clause shall be substituted, namely:—

"(2) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and two Election Commissioners and their appointment shall be made by the Chief Justice of India:

Provided that only a person qualified for being appointed as a Judge of the Supreme Court shall be eligible for such appointment."

"(3) The Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission."'

इसमें क्या देश को तोड़ने वाली बात है मुझे पता नहीं चलता। इस से देश टूटेगा या समाज टूटेगा या संविधान भंग होगा मुझे तो ऐसी कोई चीज नज़र नहीं आती है। (व्यवधान) मौजूदा जो चुनाव आयोग है इसके अध्यक्ष को चीफ इलैक्शन कमिश्नर कहा जाता है। इसके द्वारा काम जिस ढ़ंग से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं, देश चाहता है, सारी पार्टियां यह चाहती हैं और कल्पनाथ राय जी भी यह चाहेंगे कि देश में चुनाव ठीक ढ़ंग से हों और निष्पक्ष हों, इस में कोई घपला न हो। सही मानों में जिनको वोट डालकर लोग चुनना चाहते हैं वे चुनकर आ जायें असेम्बली हो या पार्लियामेंट हो। यह इलैक्शन कमीशन की मंशा है। किसी के असर में किसी के दबाव में आकर चुनाव नहीं कराये जायें। आज हम देखते हैं कि देश में चुनाव हो रहे हैं, आठ चुनाव हो गये अब तक लोकसभा के और असेम्बलीज के लिए भी हो गये हैं। इनमें कई घपले भी

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

हुए हैं । उनके बारे में चर्चा सदन में भी हुई है और बाहर भी हुई है, सभी पार्टियों की तरफ से हुई हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि वहां घपला हुआ है, दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि घपला हुआ है । यह तो आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं । इसको सुधारने की बात है । यह देश बहुत बड़ा है अंडमान निकोबार आइलैन्ड्स से लेकर कन्या कुमारी से कश्मीर तक है । उधर कच्छ से लेकर मिजोरम तक है । इस देश को संभालना है । इस देश के अन्दर जो पद्धति है उसमें चुनाव का रास्ता हमने अख्तियार किया है । इसको ठीक ढंग से हमने चलाना है, इसके बारे में हमको सोचना है । अगर किसी संशोधन से इस व्यवस्था को ठीक बना सकते हैं तो बनाना चाहिए । इसमें कोई हिचकचाने की जरुरत नहीं है । आज 3–4 राज्यों में वेस्ट बंगाल, केरल, जम्मू काश्मीर और हरियाणा में चुनाव होना है । ये होने चाहिए । लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अभी हरियाणा में इलेक्टोरल रोल्स तैयार नहीं हैं । स्टेट गवर्नमेंट्स ने यह नहीं किया वह नहीं किया, इसलिए चुनाव हरियाणा में नहीं किया जाये, इसको स्थगित किया जाये । हम चाहते हैं कि ऐसी चीज न हो जिससे लोगों को यह मालूम हो कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है या इलेक्शन कमीशन का हाथ है इसलिए इलेक्शन नहीं चाहते हैं । ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं पैदा करना चाहिए... **(व्यवधान)** मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप हरियाणा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं । वहां पर तो देवी लाल जी ने 6 हजार आब्जेक्शन्स दाखिल करवा के रुकवाया है । आपको मालूम है यह बात... **(व्यवधान)** आप जिम्मेवारी से बात करते हैं **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वह जो आपत्ति की गयी है वह मतदाताओं ने की है । जिस आपत्ति की चर्चा आप कर रहे हैं वह मतदाताओं ने की है ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : नहीं नहीं, मालवीय जी, देवी लाल जी हमारे चीफ इलेक्शन आफिसर के दफ्तर में गये, उनको डराया और 6 हजार आब्जेक्शंस फाइल कराये कहा कि इनका फैसला कराओ । अगर आप कहो तो कागज आपको दिखा दें... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : ... **(व्यवधान)**...और बाकी 4 में चुनाव नहीं कराया गया । मान्यवर, यह फैक्ट है ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप सुनिये । चित भी मेरी पट भी मेरी ऐसा नहीं चलता है । जिसको आप कहते हैं हमारे लीडर हैं, या तो आप उनको लीडर मत मानिये... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : चौधरी देवी लाल जी हमारे लीडर हैं और हरियाणा के मुख्य मंत्री बनेंगे । वहां कांग्रेस हारेगी और बंसीलाल हारेंगे तथा इस के बाद कांग्रेस पार्टी का देश में खात्मा होगा... **(व्यवधान)** इसीलिए राजीव गांधी वहां का चुनाव नहीं करा रहे हैं ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : पार्लियामेंट में असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए । आप लोग एक बार दरख्वास्त देते हैं फिर पीछे भाग लेते हैं । आप अगर चाहें तो वह 6 हजार आब्जेक्शन्स मैं यहां मंगवा लूंगा सदन में फिर आप देख लेना ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : चौधरी देवीलाल ने कमीशन को एप्रोच किया कि चुनाव न कराइये यह बिलकुल गलत है ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : चौधरी देवीलाल एक दिन तो कहें आप इन वोटर्स के नामों के फैसले करो दूसरे

दिन कहें इलेक्शन कराओ ! क्या मुख्य मंत्री ज्योति बसु कहें तो इलेक्शन होना चाहिए और बंसीलाल कह दें तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है आप लोग कौन सी...**(व्यवधान)** तराजू पर तौलते हैं....**(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : चौधरी देवीलाल ने चुनाव आयोग को एप्रोच किया था...**(व्यवधान)**...मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय का यह वक्तव्य सत्य नहीं है और सत्य से परे है ।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : मैं यह कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन या चुनाव कराने के जो अधिकारी हैं वे निष्पक्ष होने चाहिएं । इलेक्शन ठीक ढंग से कराने की योजना बननी चाहिए । यही मेरे कहने का मतलब था, चाहे वह लोकदल हो या कांग्रेस पार्टी किसी ने क्या किया ...**(व्यवधान)** उसमें न जाकर इलेक्शन कमीशन को यह चाहिए था कि अगर कोई आब्जेक्शन दिया है, मतदाताओं की लिस्ट में अगर मतदाताओं का नाम सिद्ध करने के लिए कहा गया है तो उनको करना चाहिए था... **(व्यवधान)**

श्री एच० आर० भारद्वाज : आपको मालूम है कि इसमें एक महीना लगता है उसके लिए ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : इसीलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशन की मशीनरी होने की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने के लिए इसमें संशोधन हो । एक से ज्यादा व्यक्ति इसके अन्दर हों ताकि यह जो आज आप बता रहे हैं वह चीज न हो । इसलिए हम कह रहे हैं । आप ठीक कह रहे हैं, आपका कहना बहुत ठीक है कि इलेक्शन कमीशन एक महीने के अन्दर नहीं कर सकता । ताकि ऐसी त्रुटियां आगे न चल सकें ।

उसके बाद मैं यह भी कहूंगा-- अभी मंत्री महोदय ने यह कहा कि अगर वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कहेंगे, तो इलैक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे । यह क्या मनमानी है ? वेस्ट बंगाल में मुख्य मंत्री चाहते थे कि वेस्ट बंगाल में चुनाव फरवरी में हों, लेकिन आपने अपनी सहूलियत के लिए कहा कि फरवरी में नहीं, इस महीने में हो । हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं । मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि हमारे चुनाव का जो प्रबन्ध हो, वह इम्पार्शल हो और ठीक ढंग से होना चाहिए और यह संशोधन जो मालवीय जी लाए हैं, इसके बारे में आप गौर कीजिए ।

अब इलेक्टोरल रिफार्म्स के बारे में इस सदन में इससे पहले भी चर्चा हुई । उसके बाद अमेंडमेंट भी कुछ उस संबंध में लाये गये । लेकिन कोई इलेक्टोरल रिफार्म आज तक नहीं किये गये । एक तारकुंडे कमेटी बनी, उसने कुछ सिफारिशें दीं, कुछ दूसरी संस्थाओं ने भी अपने-अपने सुझाव दिये । इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए जल्द से जल्द एक ऐसा इलेक्टोरल रिफार्म हो ताकि जो आज धांधली चुनाव में होती है, वह बंद हो । इसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है, वह बन्द हो ।

मैं नहीं समझता कि एक व्यक्ति लोक सभा या राज्य सभा के लिए जो चुनाव लड़ कर आते हैं, उनको लाखों रुपये खर्च करने पड़े, मैंने सुना है कि चंद लोग 50-60 लाख रुपये खर्च करते हैं । मेरी समझ में आता नहीं कि वह किस काम के लिए आयेंगे यहां ? क्यों आना चाहिए यहां इतना खर्च करके ? तो यह तमाम बुराइयां जो इन चुनावों में हैं, इसको देखना चाहिए।... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : बुराइयां व्यक्तियों में हैं, चुनाव में नहीं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : चुनावों में इलेक्टोरल रिफार्म्स जब तक नहीं होंगे, तब तक यह बुराइयां रहेंगी । इसलिए आपको चाहिए, सभी पार्टियों को, जनता को चाहिए कि इसके बारे में गम्भीरता से सोचे और इलेक्टोरल रिफार्म्स, सुधार होने चाहिएं । जब तक

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

ऐसा नहीं करेंगे, हम अगर पार्टीबाजी से चलते रहेंगे, मैं कहूंगा अगर मेरी पार्टी ताकत में आ जाए तो यही ठीक है और अगर आपकी पार्टी अधिकार में आ जाए तो आप कहेंगे कि यही ठीक है, हम तो यही चाहते हैं, यह नहीं चलेगा । यह सब को बैठ कर सोचना चाहिए कि देश के लिए, समाज के लिए कौनसी पद्धति ठीक है । इलेक्टोरल रिफार्म्स होने चाहिएं, सभी कहते हैं, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं । इसके लिए देर क्यों करनी चाहिए ?

श्री कल्पनाथ राय जी ने ठीक ही कहा कि हमने एंटि-डिफैक्शन बिल लाया है, मगर फर भी एंटि-डिफैक्शन बिल को अमल में लाने में बुराई हो रही है। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता कि एंटि-डिफैक्शन बिल पास होने के बाद भी लोग इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं । तो यह क्यों हुआ ? तो उसका मकसद खत्म हो गया । हम चाहते हैं कि जो भी कानून बने, वह स्ट्रिक्टली इम्पलीमेंट भी हो । इसके साथ-साथ मेरे दोस्त ने यह भी कहा सारे देश के बारे में कौन क्या जानता है, उन्होंने कहा, तो नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उसमें इंट्रेस्टेड नहीं हूं कि ज्यादा किसी के बारे में बोलूं । मगर आपने नाम लिया आन्ध्र प्रदेश के बारे में, श्री एन० टी० रामाराव जी के बारे में ।

मैं आपसे कहूंगा कि एन०टी० रामाराव जी किसी को धोखा देकर इलैक्शन में नहीं आए । वह तो सब जनता के सामने गये, अपना प्रोग्राम रखा, अपनी नीति, अपना आर्थिक प्रोग्राम, अपनी पालिसी का प्रोग्राम रखा, जनता को अपील किया और जीत गये । फिर भी उनको बैकडोर से निकालने की कोशिश की गई । इसका जोरदार आंदोलन हुआ, न सिर्फ आन्ध्र प्रदेश में, बल्कि देश में भी हुआ । नतीजा यह हुआ कि फिर जनता ने उनको चुन लिया इसका मतलब यह नहीं कि अगर मैं आन्ध्र प्रदेश का हूं, तो मैं देश को नहीं जानता । मैं तो देश को जानता हूं । अब कल्पनाथ राय जी अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आन्ध्र प्रदेश के नहीं हैं । हम यह जरूर मानते हैं कि वह सारे देश के हैं । मैं भी सारे देश का हूं, श्री एन०टी० रामाराव भी सारे देश के हैं । हर समय कुछ समस्यायें होती हैं । समस्याओं के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं । आपने कहा कि अब भारत देशम् का क्या हुआ ? वह भी बनेगा, समय आएगा, तो वह भी बनेगा । क्यों नहीं बनेगा ? समय आएगा तो भारत देशम् की सरकार भी बनेगी । तो भारत देशम सरकार भी उनके नेतृत्व में बनेगी । भारत देशम् की सरकार यहां जरूर बनेगी, यह तो जनता पर मुनस्सर है, जनता चुनेगी, तो बनेगी, नहीं चुनेगी तो नहीं बनेगी । इसमें ज्यादा किसी के प्रश्न का सवाल नहीं है ।... **(व्यवधान)**

कुछ भी हो, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो संशोधन श्री मालवीय जी लाए हैं, इसका मतलब देश को तोड़ने-फोड़ने का नहीं है, समाज को तोड़ने-फोड़ने का नहीं है । समाज को तोड़ने-फोड़ने का नहीं है बल्कि यह चुनाव को ठीक ढंग से और निष्पक्ष ढंग से चलाने के लिए, सहूलियत पहुंचाने के लिए यह संशोधन लाया गया है । मैं चाहूंगा कि न्याय मंत्री जो यहां बैठे हैं वह इसके बारे में गौर से सोचें और एक ऐसा कानून लायें जिससे कि जो त्रुटियां, जो खराबियां अब चुनाव में हो रही हैं उनको खत्म किया जाए और देश की जनता को एक ऐसा संविधान दें और एक ऐसे इलैक्शन कमीशन का आयोजन हो जिस पर सारे देश को भरोसा हो, सारी पार्टियों को भरोसा हो और यह निष्पक्षता से चुनाव हो । धन्यवाद ।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this Constitution (Amendment) Bill, 1985, that is No. XIV of 1985. Sir, the hon. Member wants an amendment under article 324 of the Constitution claiming under clause (2)

that the Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and two Election Commissioners and that their appointment shall be made by the Chief Justice of India. And a proviso has also been added--"Provided that only a person qualified for being appointed as a Judge of the Supreme Court shall be eligible for such appointment." And in clause (3) he says that "the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission." Sir, it is very clear to note that under article 324, under clause (2), the prerogative of appointing the Chief Election Commissioner and the other Election Commissioners shall be subject to the provision of law made in that behalf by the Parliament and by the President. Then clause (3) of article 324 says that when any other Election Commissioner is so appointed, the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission. Sir, normally the powers and duties of the Election Commission are superintendence, direction and control of elections and also preparation of electoral rolls and also conduct of elections to Parliament and the State Legislature of every State. Here, the Election Commission is functioning very well though the Opposition parties are raising controversies. And for the sake of argument, they are putting forth other pleas. The Election Commission is doing its duty in an unbiased way. Now, the hon. Member wants that the powers vested with the President should be given to the Chief Justice of the Supreme Court. Sir, I would like to say why this particular amendment is not justfiiable. The simple reason is that if the Chief Election Commissioner and the two other members are appointed by the Chief Justice of India, whenever any candidate files an election petition before the High Court challenging the election, it goes to the Supreme Court. The person who is sitting as the Chief Election Commissioner and his authority is being challenged. If they issued any order, that is being challenged before the Chief Justice of India who passed an order in appointing the Chief Election Commissioner. Therefore, it will be biased. And normally the Chief Justice has to decide matters which are judicial in nature. It is quasi-judicial in the case of the Election Commission. Therefore, in deciding matters which are quasi-judicial in nature, the Chief Election Commissioner was appointed by the President of India. And if the matters relating to the election procedure and the rules framed by the Election Commission are challenged in the High Courts and the Supreme Court, it is justifiable. But if it is challenged before the Supreme Court which authority also appoints the Chief Election Commissioner and the other members, it will be something of a mockery of the particular provision. Sir, the hon. Member further says, "...Only a person qualified for being appointed as a Judge of the High Court shall be eligible for such appointment." He wants this proviso to be added to the clause. Sir, for the purpose of conducting elections and also for following a regular procedure it is not necessary that a person who is qualified for being appointed as a Judge should be there. Such a person should also have administrative qualifications and not judicial qualifications alone. He has to discharge his functions as an administrative officer also in regard to the office of the election commissioner. Therefore, this proviso is not justified.

The reason which he has given in the Statement of Objects and Reasons is that of late there has been a popular demand for electoral reforms and that concentration of absolute power in regard to the conduct of all elections to Parliament and the Legislature of every state in a single individual is neither just nor proper. It has also been stated that appointment of the Chief Election Commissioner any other Election Commissioners should be beyond the purview of the Council of Ministers so that the conduct of elections could be free, fair and impartial. This is not the decision of the Council of Ministers which is being followed for the purpose of appointing the Chief Election Commissioner. Sir, I agree that the decision is made by the Council of Ministers. But Parliament is making the law for the purpose of safeguarding the interests of the people in which they are also represented. The President is applying his mind and is appointing the Chief Election Commissioner and also the

[Shri V. Narayanasamy]

Members. Therefore, there is no basis on the part of the opposition leaders even if they say that the Election Commission is made a fool in the hands of the ruling party because in fact they have saying it for argument's sake whenever they are defeated in elections. On such occasions they raise the issue that there was rigging, booth capturing and deceptive persons voted in the elections.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to submit that in 1986 our Hon. Prime Minister was pleased to bring forward the question of donations given to political parties and make them legal. It has been appreciated by the opposition parties also. In the earlier years there was a lot of criticism that this donation has not been given proper credit. It was a correct idea which was brought forward.

Now, in regard to the electoral reforms all the parties have been given the opportunity to discuss the issue of introducing electronic voting machines and also using the media by all political parties to their advantage and also for drawing upon the resources from a common election fund. Sir, in West Germany there is the practice of the State taking care of the election propaganda and also giving wide publicity to all the candidates. There is also a suggestion made here, which is being considered by all the political parties, to lessen or minimise election expenses.

Then, Sir, there are the questions relating to electoral reforms and periodic delimitation of constituencies and steps needed to be taken to avoid booth capturing and rigging of elections. For this purpose it is thought of giving identity cards to voters and certain privileges to candidates. These are the various suggestions which have been considered. In our party also we are considering these matters and after other parties have considered them they will be decided by the Law Ministry. Therefore, the hope in the minds of the hon. Members that if the Election Commission is kept away from the purview of the Legislature and is given in the hands of the judiciary, fair functioning will be there, is unfounded for the simple reason that it is not likely to be correct. Secondly, Sir, the control and supervision now done by the Election Commission is superb even as compared to other countries like England and Canada. We have seen that in various countries the Election Commission is in the grip of State Legislature or Parliament. Therefore, I would like to submit that, factually and legally speaking, the present legislation which is there, which gives protection to political parties and also individuals for the purpose of having free and fair elections in the States, should not be changed. Whenever any telegrams are sent, whenever any representation is made by the Opposition parties or by the ruling party relating to misdeeds and misuse of power, it is immediately attended to and grievances are removed; redressal is made on the spot by the Election Commission, whether in the States or at the Centre. Therefore, there is no necessity for bringing in an amendment giving powers to the Supreme Court and also about the appointment, which will definitely go into the hands of the judiciary instead of its being controlled by Parliament and also the President. Therefore, with these words, I oppose the amendment brought forward by the hon. Member.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Shri Satya Prakash Malaviyaji has proposed an amendment in the Constitution. I know what will be the reply of the hon. Minister who is sitting here. But I have to view it in a broader perspective.

I feel that unless comprehensive electoral reforms are carried out, the verdict of the ballot would cease to be true. In this connection, the President, while inaugurating Parliament in January 1985 had committed that the Government would take expeditious steps in this direction. But the follow-up has been slow and hesitant. Now, when I say that I know what the reply of the hon. Minister would be, I am sure he will say that this amendment which Malaviyaji has brought in is a part of the whole electoral

reform, and Government is concerned about it. That is a fact that the office of the Election Commission and its job is a part of the whole process of electoral reforms. But my worry is that it is exactly five years ago that I came to this House...

SHRI H. R. BHARDWAJ: Don't bother; I will also go with you.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: So, we are in the same boat.

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): Both of you will be coming back.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: On the very day I took oath, Shri Jagannath Kaushal—records are there—was the Law Minister and the Ministry of Law was being discussed when I took oath. I had come to this House for the first time. I had not been in the legislature previously; I knew nothing about the Parliamentary practice and procedure. But he said in reply to the debate on the working of the Ministry in which I took part on the very first day that electoral reform is the primary task before the Government and we are coming soon with reforms in the electoral process.

SHRI KALPNATH RAI: Anti-Defection.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : That was not anti-defection law; that was a separate thing. That was a part of the manifesto of the Congress Party which was absolutely different from the electoral reforms, and the Prime Minister in the manifesto itself had categorically distinguished and delineated these two as two separate reforms. That was to give morality to our elections; Anti-Defection Bill was to bring in morality to the political system. Second was the electoral reform, and Bhardwaj ji has also stated it many times. But I feel if Shri Bhardwaj will be here—but he is going to retire next year...

SHRI H. R. BHARDWAJ: He has misunderstood. I have assured you of my company.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Thank you, then either we will be in Haryana or in Kashmir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Company may be outside or inside the Parliament.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: If these electoral reforms are not coming, we have to give certain priorities to certain aspects which need to be implemented immediately. Here, I agree with the amendment proposed by Shri Satya Prakash Malaviya that the Election Commission should be an authority which should be above any political control or anything of that sort. Of course, it is a debatable point, as Shri Narayanasamy has said, whether the Government should appoint the Chief Election Commissioner or the Supreme Court should appoint. But I shall be content if the hon. Minister, Shri Bhardwaj, brings forward a simple amendment, which may not be a Constitutional amendment. I think, it may be possible even by way of a notification. Even in autocratic countries like Pakistan and Bangladesh, I know, the Chief Election Commissioners have always been retired Supreme Court Judges.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Where are the elections in Pakistan? What are you talking? Do you want us to follow Pakistan?

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : I said, even in these autocratic countries, the office of the Chief Election Commissioner... (*Interruptions*)

SHRI H.R. BHARDWAJ: The question is, what is the system there? There are no elections in Pakistan. (*Interruptions*)

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : I said it by way of satire on the system. In spite of the fact that there is no democracy there of the type that we have in our country...

SHRI KALPNATH RAI: There is no democracy there at all.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : I agree with you. In spite of that, the office of the Chief Election Commissioner has always been held by a sitting Supreme Court Judge or a retired Supreme Court Judge. (*Interruption*)

[Shri Ghulam Rasool Matto]

Then, Sir, there is one obnoxious thing which I would like to point out. As your know, the Comptroller and Auditor-General who is an employee of the Government cannot hold any office after he ceases to be the Comptroller and Auditor-General. Similarly, the Chairman and Members of the Public Service Commission cannot hold any office after their retirement. When this is the case, how is it possible that a Chief Election Commissioner can become a Governor, take up some gubernatorial post? You know human nature and human weakness. When I become the Chief Election Commissioner and if I want that I should become Governor of some State after I retire, I try to play to the tune of the Government of the day. (*Interruption*)

SHRI H.R. BHARDWAJ: I am sorry; this is not at all the issue here. We are not discussing here whether the Chief Election Commissioner should hold some office after he retires or he should not. That is a different proposition. Here, he has suggested a multi-member Commission and he has talked about the qualification in regard to the appointment. Nothing has been said about retirement and all that.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: This is one thing which is very essential, from my point of view.

The second thing is that, since ours is a very big country, when elections are held, particularly, in the case of General Elections, it is not possible for one person to hold office of the Election Commission to be able to effectively look after the entire country.

SHRI KALPNATH RAI: It has been possible.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: It is not possible for one person to do justice to the job. There should be a multi-member Commission. The framers of the Constitution have categorically stated—this is in Article 324—that the Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix. Therefore, the framers of the Constitution also felt that there should be more than one member in the Election Commission. As I said, it is not possible for one person to do justice to the job in a continent like ours. It is not like Jordan or some other small country. It is a continent. India is a continent. Therefore, one individual will not be able to do justice to the system of elections. I would, therefore, strongly plead that the Election Commission should consist of three members. This will also give credibility to the Commission. It is a Commission. It is not an individual. Therefore, when a decision is taken by a majority or by all the members together, it acquires credibility. I strongly urge upon the hon. Minister to bring forward this enactment as soon as possible because I do not foresee any comprehensive electoral reforms Bill coming so soon. The hon. Minister in the context of a discussion on another motion had stated on that day that a consensus had to be arrived at between the Government and the opposition parties. I, as a voter, am not to be bound whether the opposition parties agreed or not. You are the Government. You are the authority. If you feel that this is right, do it. You may consult opposition parties. It is good. You may or may not accept the amendments suggested by opposition parties. If the opposition parties do not accept some of your suggestions because of their party interest, why should the voter suffer for that? The Government's judgement should be supreme and if they feel that the electoral reforms must be carried, I do not think the agreement of any party, whether it is CPI or CPI(M) or the Janata or any other party, is to be awaited. Whatever is good is good, whether they accept or not. They may have their political motivations in accepting or not accepting the electoral reforms that the Government may put forth. So, what is required is expeditious action.

I, therefore, strongly support the provisions of this Bill and request the hon. Minister to kindly inform this House that when shall we see the day when the Bill for electoral reforms would be brought before this House.

With these observations I support the Bill.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill. I will confine my arguments only to article 324 of the Constitution. Three amendments have been proposed in the Bill. The first is that the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall be made by the Chief Justice of India. Another amendment is, "Provided that only a person qualified for being appointed as a Judge of the Supreme Court shall be eligible for such appointment"; that means his status is sought to be brought on par with the Judge of the Supreme Court. And thirdly, that the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission.

In this connection, Sir, I would like to draw your attention to article 324, subclause (5), wherein its proviso says:

> "Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service of the Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment."

This presupposes that the Election Commissioner must have been considered to be at par with the Judge of the Supreme Court. Otherwise this provision would not have been inserted in the Constitution. The framers of the Constitution had fully thought over this matter, because the whole of our Constitution is divided into three parts or sub-divisions: the legislature, the judiciary and the executive. In the executive, the government is administered and it is seen that the government runs on proper lines. And while considering this thing, all these three branches of the Constitution are purposely, intentionally kept away from each other. That is why the highest part concerning the governance and administration of the country practically is with the Election Commissioner. Therefore his appointment is kept with the Head of the executive—i.e. the President. Under Art. 53 of the Constitution, "the executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution". There is no discretion left to the President to do any administrative act; his hands are completely tied down. Why? Because under Art. 324 itself, "the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission)." He is not a small man regarding the governance of the country. He is saddled with so many responsibilities. Therefore it cannot be said that it is a matter to be discussed very lightly. What is the post of the President? His post is most independent, most responsible. This can be seen at various stages. The recent matter regarding withholding assent to the Post Office Bill, or previously to the Hindi Code Bill, by the President just proves beyond any reasonable doubt that the President exercises his authority with full responsibility, independently and not arbitrarily. Therefore don't think that President is a man to be selected just like that, as we select something else; it is not like that. He must be above par. Therefore the responsibility of selecting a person as Election Commissioner is vested in him.

I am surprised what is the distrust for? Let us take the converse of it. Suppose the Election Commissioner is nominated or elected—whatever you may say—by the Chief Justice of India, what difference will it make? We all know what things are going on, as has been enumerated by my learned friend, Shri Kalpnath Rai just a short while before. Therefore, I say, this distinction is absolutely without base without any foundation. On the other hand, the present provisions in the Constitution are more responsible and more elaborate. It goes to the roof. Otherwise it would not have been said so. Examine the election results. What have the election results shown us? Within two days the whole of the country's elections are over. Is it not

[Shri S. N. Deshmukh]

a surprise? Is it not a certificate of efficiency in the governance of the country, is it not a proof that the elections are carried out faithfully according to law and as required by the Constitution? It is wonderful how you create a distrust without any foundation. It is not fair on the part of the other side.

Coming to that, I will just draw your attention to an article to show how the farmers of the Constitution were careful. Sorry. my spects are broken . . . (*Interruptions*) . . .

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Take it easy.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: I will draw your attention to article 327—Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures. See what vast powers have been given. It is for we people how to frame the election laws, it is for we people how to protect the people and their rights. The article reads thus:—

> "Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses."

What elese do you want? What a protection given to the House. What wide powers are given to the House. What a protection given to the House. For the control of this there is enough protection. All the reforms that you frame here in this House, the rules and regulations that you make here, the bye-laws that you make over here, all the election laws that you make over here, are to be carefully exercised by the Election Commissioner who is appointed by the Head of the Executive, that is, the President. Is it such a small thing like changing the laws of a cooperative society? It is easy to change the laws of a cooperative society, it is easy to change a Municipal Act. But, when you want a constitutional amendment it must be substantiated with full material. It is immaterial that we talk about election matters; it is absolutely different from what is contemplated over here in the Constitution.

SHRI ASHWANI KUMAR (Bihar): Something else, other than what is stipulated in the Constitution, is happening. That is what we are saying.

4.00 P.M.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Before that, I would draw your attention not to the working of Parliament but to the wide powers that have been given to the States. I would like to draw your attention to article 328—"Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature. Every Legislature is entitled to make election laws, bye-laws. rules, regulations subject to the provisions of the Constitution. They cannot transgress the Constitution. Article 328 lays down:

> "Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, the elections to the House or either House of the Legislature of the State including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses."

Sir, this proves beyond any doubt that the two Houses and State Legislatures have been given full powers regarding electoral matters. It is beyond doubt that it has been laid down in the Constitution itself that it is for the Legislatures and Parliament to decide about them. It is not for the Constitution. By making some changes here and there we will not serve the purpose of the electoral laws.

Now, Sir, I will again draw your attention to Article 329 which is the most important Article. It bars interference by courts in electoral matters. It is a very good provision in the Constitution. If this Article would not have been there, I submit most humbly that all our election results would have been scattered here and there. Because this provision is there, the elections of the whole country are channeling in a particular drain, in a particular line. That is why, in this Constitution the provisions regarding elections are so well placed, so well worded, so strictly needed for the advancement of the country. Otherwise, courts would have been flooded. Article 329 lays down:

> "Notwithstanding anything in this Constitution—
>
> (a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328, shall not be called in question in any court;"

What else do we want? We have to decide what type of constituencies we want. We have to decide what type of electoral rolls we need. Is it for amending the Constitution? Certainly, it is beyond the purview of the Constitution. It further lays down:

> "No election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition (not by a suit for declaration) presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature."

What else do we need? The authority to decide the truthfulness of the election results, you can create. That is known as the appropriate authority created by the Legislature. When we have vast and ample powers, we try to search out somewhere some amendments even though they may not be required. Therefore, I submit, considering all these aspects, we can very well say that the present amendment brought forth, though it is not conditioned to Article 324, is not at all in consistency with the provisions of the Constitution. As I have submitted, the framers of the Constitution have taken enough care to see that the person to be selected as the Commissioner should be of a particular stature. They have also carefully considered and provided how his removal be done. Therefore, I say that the present Amendment Bill is beyond the purview of the amendment of Article 324. As such I oppose this Bill. I think no purpose will be served by bringing in such a Bill, unless you improve your own Legislatures by putting new legislative reforms. And that can be done only through legislatures and not by amending the Constitution.

श्री सूरज प्रसाद : महोदय, मालवीय जी भारतीय संविधान की धारा 324 में संशोधन के लिए जो बिल लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं । यह देख कर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक मामूली संशोधन के लिए कांग्रेस की ओर से इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है । इससे लगता यह है कि जरूर कुछ दाल में काला है । . . . **(व्यवधान)** कल्पनाथ जी का भाषण हम लोगों ने ध्यान से सुना और शायद जमीन से लेकर आसमान तक जितने भी प्रश्न हैं, सभी को उन्होंने इस दायरे के अन्दर लाने की कोशिश की है । हमको लगता है कि शायद फिर मंत्रिमंडल में कुछ संशोधन होने वाला है और शायद इनका नाम उसमें आने वाला है ।

एक माननीय सदस्य : आप भी सिफारिश कर रहे हैं । यह क्या ज्वार का काम है ?

श्री सूरज प्रसाद : हम तो ज्वार के आदमी है । हमको खुशी होगी कि आप चले आएं । लेकिन कितने दिन रहियेगा, इस पर जरूर ध्यान रखियेगा । चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जनतंत्र

[श्री सूरज प्रसाद]

की सफलता के लिए जरूरी है। कल्पनाथ जी ने भारतीय जनतंत्र की प्रशंसा मुक्त कंठ से की और ठीक ही की। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जनतंत्र दुनिया में सब से बड़ी जनतंत्र है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है। शायद वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया था। यह कोई नहीं जानता कि आज भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में बूथ कब्जा ने एक ऐसा घिनौना रूप धारण कर लिया है जिसकी निंदा सब को करनी चाहिए। शायद कल्पनाथ राय जी भी राजी होंगे कि चुनाव के अंदर मनी-पावर और मसलपावर की शक्ति इतनी अधिक हो गई है कि जितने भी हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, वह चुनाव से वंचित होते चले जा रहे हैं और बालिग मताधिकार हमारे देश में एक मखौल बनता जा रहा है।

मैं तो ऐसे राज्य से आता हूं जहां बूथ कब्जा, मनी-पावर, और मसल-पावर का इतना अधिक इस्तेमाल होता है कि उसके बारे में जितनी भी बात कहीं जाएं थोड़ी हैं और यह बीमारी अब महज बिहार तक ही सीमित नहीं है, वह बीमारी कैंसर की तरह पूरे देश में छाती जा रही है। अब गुजरात के अंदर जो पंचायत का चुनाव हुआ उस चुनाव में भी बूथ कब्जा की चर्चा अखबारों में पढ़ने को मिली। ऐसी स्थिति में हमें देखना यह है कि चुनाव प्रणाली में क्या कोई संशोधन की जरूरत है? मैं समझता यह हूं कि अगर जनतंत्र को इस देश में फलना-फूलना है और इसको समृद्ध होना है और चुनाव को अगर लाठी-तंत्र और धन-तंत्र से बचाना है तो चुनाव प्रणाली में बुनयादी संशोधन की आवश्यकता है अभी मालवीय जी ने जो संशोधन बिल के रूप में लाया है चुनाव प्रणाली में संशोधन की ओर यह एक कदम है मैं इसे ऐसा मानता हूं। उम्मीद यह थी कि एक बहुत ही वेजीटेरियन यह संशोधन है और इसलिए उस पक्ष के लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए ...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : नान-वेज होता तो कर लेते।

श्री सूरज प्रसाद : नान-वेज तो हम लोग ला नहीं सकते। हम लोग तो वेजीटेरियन संशोधन ही लाते हैं। नान-वेज तो उधर से आता है। इसलिए यह संशोधन बहुत मामूली संशोधन है और यह संविधान की भावना के अनुकूल है, क्योंकि उसमें एक कमिश्नर के स्थान पर कई कमिश्नर की बहाली के बारे में बात कही गई है। अगर अभी तक नहीं हुआ तो यही हम लोगों को आश्चर्य है कि अभी तक क्यों नहीं किया गया? लगता यह है कि इससे जो शासक दल है उसको इस देश के अन्दर चुनाव के जरिए कैसे मेनोवरिंग की जा सकती है उसमें उसको सहायता मिलती है और ऐसी बात नहीं होती तो इसे मानने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी एक-दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं, कुछ और माननीय मित्रों ने इसके बारे में कुछ बातें कहीं, अभी चुनाव हुआ कई राज्यों का, चार राज्यों में चुनाव होने वाला था। केरल में, पश्चिमी बंगाल में, जम्मू और काश्मीर में और हरियाणा में। तीन राज्यों का चुनाव होगा, उसकी घोषणा कर दी गई 23 मार्च को चुनाव होगा। हरियाणा के चुनाव की घोषणा नहीं की गई। माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि वहां की सरकार ने अधिक समय मांगा था। और सरकारों ने भी अधिक समय मांगा था। हम भी जानते हैं, कई सरकारों ने समय मांगा था, लेकिन उन लोगों का चुनाव एक समय में किया गया। इसके पीछे क्या था? राज यह है कि कांग्रेस को शायद अभी जो शासक पार्टी है वहां की उसको खतरा यह है कि अगर चुनाव इस समय कराया जाता तो वह हार जाते। इसलिए समय को कुछ टाला गया है। इस बीच में कुछ ऐसा मेनोवरिंग किया जाए जिससे कि हरियाणा में भी कांग्रेस आई की हकूमत बन जाए।

एक माननीय सदस्य : बनी हुई है।

श्री सूरज प्रसाद : फिर बन जाए, फिर बन जाए और फिर बन जाए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हरियाणा की सरकार दल-बदल से बनी है ।

श्री सूरज प्रसाद : अभी सरकार तो आया राम, गया राम से बनी है । इसलिए फिर से हमारी सरकार वहां रहे इस दृष्टि से आपने उस चुनाव को टाल दिया । शायद आपके दिमाग में यह तस्वीर होगी कि इस बीच में जो लोकदल में विभाजन होगा उससे हमको लाभ हो जाएगा । ... (**व्यवधान**) मैं अपनी बात बोल रहा हूं और इनका आरोप यह है कि इस विभाजन में आपका हाथ है । इसलिए हमारा कहना यह है कि अगर चुनाव कमिश्नर एक होगा तो सरकार को मेनोवर करने में, उसको पक्ष में लाने में सरकार को काफी सहायता मिलती है । अगर एक से अधिक हो जाएंगे तो सरकार की दाल वहां नहीं गलती । इसलिए हमारी समझ यह है कि और अगर सरकार कहती यह है कि, और कल्पनाथ जी बहुत जोर-जोर से बोलते हैं, दोनों हाथ उठा कर बोलते हैं हिन्दुस्तान के अन्दर जनतंत्र को मजबूत करना है । तो हिन्दुस्तान के जनतंत्र को अगर मजबूत करना है, इसको और फलने-फूलने देना है, इसको और अधिक पुष्ट करना है तो वर्तमान चुनाव की प्रणाली के अंदर जो एक कमीश्नर बहाल है, वह सही नहीं है । इससे देश के अंदर निरंकुशता का जन्म होता है ।

Two heads are always better than one. (*Interruptions*).

SHRI H. R. BHARDWAJ: No, no, Janata Party had not two heads but many heads but you could not do anything (*Interruptions*).

श्री सूरज प्रसाद : अच्छा अब मैं भोजपुरी कहावत कहता हूं । पंच के मुह में परमेश्वर बसता है । इसलिए बेटर जजमेंट के लिए जरूरी यह है कि एक से अधिक कमीश्नर होने चाहिएं ।

SHRI KAMALENDU BHATTACHARJEE (Assam): Now, you are wanting many people to be appointed as Chief Justices. Then, you want many Chief Justices. This is no logic (*Interruptions*).

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): I think, Mr. Bhattacharjee should know that Mr. Suraj Prasad is talking about Election Commission. (*Interruptions*).

श्री सूरज प्रसाद : चीफ जस्टिस की बात मैं नहीं कहता । यह संविधान बनाने वालों के दिमाग में भी था कि कमीश्नर एक होना चाहिए या एक से अधिक भी होने चाहिए । उन्होंने ही इसमें व्यवस्था की है कि एक ही नहीं, एक से भी अधिक चुनाव कमीश्नर हो सकते हैं । इसकी उनको भी सोच थी । इसलिए चीफ जस्टिस भी दो या तीन होने चाहिएं, उसके लिये यह फिट नहीं होता । मेरी समझ है कि संविधान की जो भावना है, संविधान बनाने वालों ने जिस भावना से संविधान बनाया है उसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ । यह एक आश्चर्य की बात है ।

दूसरी बात, जो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं, वह यह है कि कैसे कमीश्नर की बहाली होनी चाहिए । अभी तक कमीश्नर की बहाली कौन्सिल आफ मिनिस्टर्स के निर्णय के बाद प्रेसीडेण्ट करते हैं, यह एक पद्धति है । लेकिन क्या इससे भी बेटर पद्धति हो सकती है, इस पर सोचा है आपने ? मेरी समझ यह है कि इस बिल के अन्दर कुछ बात कही गयी है कि कैसे बहाली करनी चाहिए । इसके अलावा और भी पद्धति हो सकती है। एक यह भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन इन तीनों की एक कमेटी बनाई जाये और इस कमेटी की राय से कमीश्नर बहाल किया जा सकता है, दूसरा रास्ता यह हो सकता है । तीसरा रास्ता भी हो सकता है और वह क्या, कि पार्लियामेंट खुद ही उसकी बहाली करे यह एक रास्ता हो सकता है । तो यह भी मोड़ जनतांत्रिक है जिस जनतंत्र की तारीफ सभी करते हैं .. (**व्यवधान**)... हम तो अपनी बात बोलते है और मैं इनकी बात की ताईद करते हुए और रास्ते बता रहा हूं । अब आपको कौनसा स्वीकार

[श्री सूरज प्रसाद]

है, यह आप जानिए-(**व्यवधान**)..... किसी को तो आप मानिए। देखें आप क्या मानते हैं? अब यह देखना है।.... (**व्यवधान**).....

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी समझ यह है कि अगर आप जनतंत्र, जनतंत्र की यह जो रट लगाए हुए हैं, उसको आप समृद्ध करना चाहते हैं, उसको और पुष्ट करना चाहते हैं तो यह जो विभिन्न रास्ते हैं बहाली करने के, उसमें से स्वीकार कीजिए। अगर इनकी बात मान लीजिए तो ठीक है, अगर नहीं मानिएगा तो मैंने दूसरा रास्ता बताया है कि तीन को कमेटी आप बनाइए और उसकी राय को मानिए। अगर वह भी आपको मंजूर नहीं है तो फिर पार्लियामेंट के जरिए ही आप कमीशनरों की बहाली कीजिए। इससे देश के अन्दर जनतंत्र को और अधिक फलने-फूलने का मौका मिल सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ म अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सत्यप्रकाश मालवीय जी द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनने से मुझे यह पता चला कि इस विधेयक को लाने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है और संविधान में संशोधन करने के पीछे एक ही मंशा है और वह यह है कि शायद इस देश में इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है, उसमें बहुत सारी गड़-बड़ियां हैं।

श्रीमन्, इस संशोधन के तर्क में बहुत सारी बातें कही गई हैं, संविधान का हवाला देकर तीन इलेक्शन कमिशनर मुकर्रर करने की बात कही गई है। लेकिन मैं दो तीन बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और इसकी बहुत डिटेल में जाने की जरुरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है।

पहली बात यह है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इलेक्शन कमिश्नर को एपाइंट करे, यह कहा गया है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता कि जज का एपाइंटमेंट कौन करता है और इलेक्शन कमिश्नर का एपाइंटमेंट कौन करता है। अगर यह बात एक पर लागू होती है तो जज पर क्यों नहीं लागू होती? अगर उस पर भी लागू होती है तो पता नहीं किसी पर आपको विश्वास होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो आप हजारों अमेंडमेंट लाइए, कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इलेक्शन कमिश्नर की निष्ठा पर विश्वास नहीं करते? क्या आप सन् 1977 के चुनाव पर भी विश्वास करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो क्या वह चुनाव कमिश्नर के तहत नहीं हुआ था? क्या वह किसी और के जरिए हुआ था? क्या उस समय कांग्रेस की सरकार अपना प्रभाव उस पर नहीं डाल सकी? आप निष्पक्ष चुनाव जीतकर आए और आपने सरकार बनाई और हम हारकर अपोजिशन में बैठे। अगर यह बात सही है कि इलेक्शन कमिश्नर निष्पक्ष नहीं हैं तो जम्मू-कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, चाहे वह आंध्र प्रदेश हो, जम्मू-काश्मीर हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, आसाम हो, पंजाब हो या मिजोरम हो, वहां पर जो हमारी अपोजिशन की सरकारें बनी हैं, वे चुनाव किसके तहत हुए? क्या इलेक्शन कमिश्नर के तहत नहीं हुए? तो क्या फिर भी आप को उन पर शुबहा है? जहां पर भी आप देखते हैं वहां पाते हैं कि सारी चीजें निष्पक्ष हो रही हैं और फिर भी आप कहते हैं कि उनकी निष्पक्षता पर आप को विश्वास नहीं है इसलिए कि आप बहुमत में नहीं आ पा रहे हैं पार्लियामेंट में तो मैं क्या कहूं, आप जानिए।

महोदय, एक बात और मैं निश्चय-पूर्वक कह सकता हूं कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने यह प्रावधान किया है कि यदि आवश्यकता पड़े तो इलेक्शन कमिश्नर और भी मुकर्रर किए जा सकते हैं। तो पहले आवश्यकता तो आप

देखिए । आवश्यकता पड़ेगी तो हम खुद करेंगे, उसमें संशोधन लाने की क्या जरूरत है ? तो ऐसी सूरत में इस बात पर बार-बार जोर देना कि यह संशोधन किया जाए, मैं नहीं समझता कि इससे क्या होगा ।

अभी हमारे मिश्र जी ने और बहुत सारे सदस्यों ने, रेड्डी जी ने गरीबों का जिक्र किया । लेकिन मैं कहता हूं कि भारत की 80 करोड़ जनता की गरीबी को एक दशक, दो दशक या तीन दशक में मिटा देना कोई खेल है ? हम इस बात को देखते चले जा रहे हैं कि भारत जब आजाद हुआ था उस वक्त हमारी जनसंख्या क्या थी और आज हमारी जनसंख्या बढ़कर 80 करोड़ से ऊपर जा पहुंची है और हम जितने साधन मुहैया करते चले जा रहे हैं क्या वे सब के लिए पूरे पड़ते जायेंगे ? अगर आप गरीबी का तमाशा देखना चाहते हैं कि गरीबों में क्या उत्थान हुआ है तो हमारे जैसे हरिजनों से पूछ कर देखिये जो देहातों में रहते हैं । किस दशा में हम लोग रहते हैं शायद आप लोग अन्दाजा भी न लगा सकेंगे । आज से 30–40 साल पहले जो दशा थी आज भी गांवों की वही दशा है । वहां हमें खाने को रोटी तक नहीं मिलती । गांवों की सड़कों की भी वही हालत है । कमियां रह सकती हैं चाहे कोई भी सरकार हो । कोई भी सरकार ऑल ऑफ ए सडन सारी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकती है यह आप को और हम को मानना चाहिए ।

श्री कल्पनाथ राय : जनता पार्टी ने किया था ।

श्री सुखदेव प्रसाद : जनता पार्टी या किसी दूसरी पार्टी को दोष नहीं दे सकते । यह भारत देश है इसका अपना जनतंत्र का तरीका है, इसकी अपनी एक हैसियत है । आज इसकी क्या इकोनोमिक सिचुएशन है, इसकी क्या इकोनोमिक पोजिशन है, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं यह सवाल हर एक के सामने है । चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, तेलगू देशम पार्टी की सरकार हो या तमिलनाडु की सरकार हो...

श्री कल्पनाथ राय : जनता पार्टी ने किया था ।

श्री सुखदेव प्रसाद : उसे छोड़िये । उसकी बात नहीं करता ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन की आज आवश्यकता क्यों महसूस हुई । जिस वक्त आपकी पार्टी थी उस वक्त आपको इसकी आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हुई । ढाई साल आपकी पार्टी सत्ता में रही उस समय भी यह संशोधन आ सकता था ।

श्री कल्पनाथ राय : तीन साल रही ।

श्री सुखदेव प्रसाद : कितने भी साल रही हो लेकिन उस समय तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया । आज एकाएक इसकी क्या जरूरत आ पड़ी यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं । अभी हरियाणा के चुनाव की बात आई है । आप दुनियां भर की बात करते हैं लेकिन आपको तो हमारी सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको इलेक्शन कमीशन ने एक मौका और दे दिया कि आप अपनी पार्टी को और मजबूत कर सकें, नहीं तो आपको सेक्योरिटी से भी हाथ धोने पड़ सकते थे । मैं इतना कहना चाहता हूं कि दुनियां भर के पचड़ों में न पड़कर दो-तीन मुद्दे जो खास थे वे आपके सामने रखे । इस पर हम को और आप सब को विचार करना है । जो व्यवस्था इस समय चल रही है इस बारे में हमारी सरकार स्वयं कृतसंकल्प है, अपोजिशन से बात भी करती है । जब जरूरत पड़ेगी तो वह स्वयं अमेंडमेंट लायेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): Now, Prof. Lakshmanna.

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Vice Chairman, Sir, I stand to support th Bill moved by Mr. Satya Prakash Ma laviya. All that I am asking the Mir ister of State in the Ministry of La

[Prof. C. Lakshmanna]

and Justice is to be objective and impartial and look at the problem in such a way that due consideration is given to the Bill and I am sure that in that case he would be willing to accept it.

Sir, now the question arises whether the Bill moved by Shri Malaviya is in line with the thinking of the Constitution, is in line with the thinking of those who are responsible for the Constitution, is in line with the thinking of the people at large in the country and is in line with the thinking of the people of this country. If, as I was mentioning earlier, he considers the whole thing dispassionately, he will come to the conclusion that there is every need for a change in the composition of the Election Commission. This is something not new as it has been pointed out perhaps by several Members earlier; it has been bulit in the Constitution itself. And, further, earlier there was a Joint Select Committee which went into this question which also came to the unequivocal conclusion that there is need for expansion of the Election Commission, in view of the increased activity and work of the Election Commission. I would like to quote:

> Elections have become a continuing process entailing enormou work on the Election Commission. The immensity of the task of the Election Commission and the complexities of the duties which it is called upon to discharge are too obvious and do not require any elaboration. It is too great a burden for a single person to exercise supervision, direction and control over the elections effectively, and consequently he is likely to be exposed...."

I would like to emphasise "likely to be exposed"

> "....to charges of arbitrariness and partiality. The Committee, therefore, recommend that the Election Commission should be a multimember body as provided in article 324(2) of the Constitution. About the exact number of officers to assist the C.E.C. .... the Committee consider that an enlarged Commission will be able to discharge very effectively the responsibility relating to the elections."

I think if this is the recommendation of the Joint Select Committee, it is only in line with the thinking of the founding fathers of the Constitution....

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: In which year was it made?

PROF. C. LAKSHMANNA: In 1972.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Both Houses?

PROF. C. LAKSHMANNA: Yes, both Houses. It was a Joint Select Committee of Members coming from both the Houses. It was the decision of that particular Joint Select Committee. Therefore, whether the work of the Commissioner has become enormous or not, whether he is under pressure or not is something which can be viewed in the light of what has happened during the last few months of a few years. The Minister may say that when the Haryana elections are to be held, the term is till the end of June, and the Haryana Government wanted the elections to be held only subsequently. The importance being given here is on the decision of the State Government that they want the elections to be held much later, not together with others. If the emphasis is upon the decision of the State Government which, for its own reasons, wantister—of course, he is aware of it—that there was another State Government which, for its own reasons, wanted to hold the elections earlier, at least a month earlier than the date which ultimately had been fixed. What has been the statement of the Election Commissioner in that case? He said that since the elections to the Assemblies are to be held in some other States also

it will be in the interest of the election process as such that these elections are also held together at the same time. And, therefore, the request of the State Government, which is as legitimate as the request of another State Government which wanted the election to be held later was turned down and the elections were held. Therefore, my simple question is: what did you do when another State Government wanted to exercise its powers, its duties, and its rights, and wanted to hold elections in the month of February? If these Members, even though they may belong to the treasury benches, come forward and say: "Look, we are going dispassionately on the basis of the legitimate claims being made by this Government or that Government and therefore if a particular Government wanted the elections to be held earlier, these should have been held" it would be a different thing. But, unfortunately, when that question came up, nobody was talking about it. If the opposition parties at that time wanted that this request should be acceded to, then also you accused the opposition parties. If today, on the same ground, the opposition parties ask you why you have postponed the elections in Haryana....

SHRI H. R. BHARDWAJ: What are you talking? You are using wrong words.

PROF. C. LAKSHMANNA: If you are not holding the elections along with other States ...

SHRI H. R. BHARDWAJ: You mean 'along with West Bengal or Kerala'?

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Minister, West Bengal is your waterloo.

SHRI H. R. BHARDWAJ: We will see that. You have been born in recent years. We have enjoyed power since century.

PROF. C. LAKSHMANNA: Since centuries. My Lord. It is news to me. It means that when Britishers were ruling, you were partners with them.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : It is the power of the people that the Congress enjoyed in the last one hundred years. (*Interruptions*)

PROF. C. LAKSHMANNA : If the Congress which was fighting against the oppressive rule of the British enjoyed power because of people's patronage, then on the same analogy we enjoy power because we enjoy the patronage of the people. I do not know what type of logic is this. It is Mr. Matto's logic and he falls flat on his logic. (*Interruptions*) This is one point.

My second point is this. As has appeared in the newspapers, even recently, the Election Commissioner was holding a different view. It proves my point that the Election Commissioner is under pressure, under tension and under threat. The same situation has been conceived by the Joint Select Committee. This situation has been conceived by the various other thinking people in the country. This is what is being conceived by the people at large. Therefore, there is need for making the Election Commissioner more broad-based and with more understanding. That can be done if he is strengthened. The Election Commissioner can become the Chairman of the Election Commission. There can be another Election Commissioner. The number is something which can be decided. Having said this, the question arises as to what should be the process through which this Election Commissioner should be appointed. Today, he is appointed on the advice of the Council of Ministers, by the President. Now, can we also broad-base this? How can we depend upon the thinking of the Council of Ministers only in choosing such an important and impartial body which has to decide the various aspects of the destiny of this country and the working of democracy in this country? Can this be enlarged or no? That is the question. In my view, instead of leaving things in the hand of the Council of Ministers, it should be enlarged. The Government, in its own interest and in the interest of the nation and in the interest of democracy, should come forward and say so that let others also be parties to it, let others also participate in the ultimate selection of these people so that they will be acceptable to

[Prof. C. Lakshmanna]

the country at large, they will be acceptable to the political process at large. Therefore, without going into the details as to who should do this—either it could be as earlier suggested the Vice-President, the Speaker and the Chief Justice together or whatever it may be, and I am not insisting upon that as the only basis—I may say that all the people can sit together and evolve a mechanism through which the identification of those people who will ultimately decide the destiny of the functioning of democracy in this country can be made. Therefore, even from that point of view, the Minister should have no objection. I know he will not be able to accept what I am saying. But at least he should accept the strength, the wisdom and the basis on which this particular Bill has been brought about. And if he accepts it...

SHRI H. R. BHARDWAJ : You have not read the Bill. He wants the Supreme Court Judges. You are not speaking of that.

PROF. C. LAKSHMANNA : I made it very clear.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Kindly read the Bill. (*Interruptions*)

PROF. C. LAKSHMANNA : I am asking the Minister one thing. If I am bringing forward that amendment with the acceptance of the hon. Member who has moved this, are you going to accept it?

SHRI H. R. BHARDWAJ : I am putting a question. Are you going to appoint your Chief Electoral Officer in Telugu Desam Government with the suggestion of the Gujarat Government? Are you going to do that? That is also a part of the Election system.

PROF. C. LAKSHMANNA : No, no. You have not understood the point.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: You have not understood the spirit behind the Bill.

PROF. C. LAKSHMANNA: Sir, I have got great respect for the legal wisdom of Shri Bhardwaj. I always hold him in high esteem. I do not know what is happening.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Don't enter into an argument. Make your point.

PROF. C. LAKSHMANNA: Sir, having become the Minister, perhaps, he is losing sight of it. Otherwise, Sir, we are talking of the Election Commission and he is talking about the Chief Election Officers of the States. (*Interruptions*) this is not with in the purview either of the constitutional provision as it exists today or of the new Bill which is being introduced by Mr. Malayiya or in any one of the suggestions made by the hon. Members here. What is being talked of by the Minister is absolutely an administrative matter. I don't think it is of the same order as the things which we are talking. Therefore, if the Minister is willing to consider the suggestions which we have been making, even at this stage...

SHRI H. R. BHARDWAJ: Which is your suggestion? Point it out.

PROF. C. LAKSHMANNA: I made it very specific.

SHRI H. R. BHARDWAJ: You have left it in the air. That is the difficulty.

PROF. C. LAKSHMANNA: I made it very specific. If that is acceptable to him, I am prepared to persuade my good friend, Mr. Malaviya to make that amendment.

SHRI H. R. BHARDWAJ: You make your suggestion.

PROF. C. LAKSHMANNA: Having stated that, you should come forward...

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, I do not want to intervene. Let his Party make its own views known about what Mr. Malaviya has suggested. He is making the suggestions in the air . It is neither here nor there.

PROF. C. LAKSHMANNA: I already made one suggestion. I made a specific recommendation. I said that I am not confining myself to this. The other alternatives can still be thought of. And I have made one suggestion.

And if that is acceptable to him, not the one which has been made by Mr. Malaviya, I said that I would persuade Mr. Malaviya to accept it. But the problem is that Mr. Bhardwaj will not do it...

SHRI H. R. BHARDWAJ: That is a different matter.

PROF. C. LAKSHMANNA ... because Mr. Bhardwaj is not having an open mind. Mr. Bhardwaj is still having a memory of what the Janata did so much so he went to the extent of saying to Mr. Suraj Prasad who was their friend when the Janata was there...

SOME HON. MEMBERS: No, no.

PROF. C. LAKSHMANNA: A little before that. (*Interruptions*)

SHRI H. R. BHARDWAJ: Your Party was not born that time ... (*Interruptions*)

PROF. C. LAKSHMANNA: I don't have any regrets about it. "Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge". Like that for establishing Dharma our party came at the appropriate time. There is no need to worry about it. Having come, it is doing good work. We will acquire the majority also. Onward march has been the hallmark of the people of Andhra Pradesh which has been shown by us not once but four times. You have been talking only, the whole country knows. But once we come to power, at that level things like this will not happen. But while you are in power I am still suggesting, do not lose the good opportunity coming your way to initiate some of the good things, some of the good things which were thought about by Parliament itself and by the founding fathers themselves. Please, for heaven's sake do not lose that opportunity of being the harbingers of good things in the country. Therefore, I would still urge upon the Minister...

SHRI KALPNATH RAI: What is your suggestion?

PROF. C. LAKSHMANNA: Kindly go through the proceedings and you will know what are my suggestions. I have given one suggestion. I have said, I do not want to arrogate to myself all the wisdom and say that this is the only solution. A solution on these lines could be found by a joint deliberation, by a discussion. But one suggestion I have given. I am not talking in the air as the Minister is accusing. I continue to hold the view that that will be a good suggestion but without confining myself to that suggestion, solutions can be discussed. But what is important is that there is no dispute about the need for enlarging the scope of the Election Commission. I think even the Minister cannot dispute that. Even the Treasury Benches cannot dispute that there is enormous increase in the work of the Election Commissioner, that he is under stress, that he is under tension, under strain, under pressure. One of the functions of the opposition parties is to be the watchdogs and since we are the watchdogs we would like to bring that pressure which is sane, just and equitable, and we will continue to have that pressure exerted because we want sanity to triumph, justice to prevail and the society will have ultimately a true democracy.

Sir, we are doing this in that direction. Therefore, even now I urge upon the Minister to kindly accept this Bill in its true spirit and try to bring about the needed change in the composition of the Election Commission.

श्री भंवर लाल पंवार राजस्थान : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन संविधान संशोधन बिल नम्बर 14, 1987 का घोर शब्दों में विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी आपका जवाब हो जायेगा।

श्री भंवर लाल पंवार : बिना जवाब के तो कोर्स पूरा नहीं होगा आप थोड़ा सुन लीजिए। माननीय उपसभाध्यक्ष

[श्री भंवर लाल पंवार]

महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और तरस भी आती है माननीय मालवीय जी के ऊपर कि एक ला के स्टुडेंट होते हुए और सन् 54 से 74 तक प्रेक्टिस करने के बाद भी इस संशोधन के माध्यम से क्या संशोधन करने जा रहे हैं वे यह भी नहीं जान पाए हैं । इस बिल से जो कि संशोधन के रूप में लाया गया है यह प्रतीत होता है कि यह इनकी पार्टी की संकुचित विचारधारा का प्रतीक है । जो इस 324(2) में बात कही जाने वाली है, जो कहना चाह रहे थे वह अगर 324(5) को पढ़ लेते तो यह बात कहने की आवश्यकत नहीं होती और इसके साथ आप यदि कांस्टीटयुएंट असेम्बली की भी धारा 324 का जो रिलेवेंट 289 था उसको तथा असेम्बली के महान अधिवक्तागणों या वहां जितने स्टालवर्ट थे उनकी डिसकशन को पढ़ लेते तो यह बात इस संशोधन के माध्यम से नहीं कही जाती । यह बिल केवल इस विचारधारा से लाया गया है कि यह एक संशोधन के नाम से, केवल संशोधन पेश करके इस पार्लियामेंट का एक मिनट का एक्सपेंडिचर जोकि 70 हजार रुपए होता है, उसको इतने घंटे इसमें खराब करके इतना आर्थिक नुकसान भारत की जनता के ऊपर डाला है, यह केवल इस बात का द्योतक है ।

एक माननीय सदस्य : आप पैसा बचाइये मत खर्च कीजिए ।

श्री भंवरलाल पंवार : इसीलिए मैं विधि मंत्री जी से भी कहूंगा कि इस प्रकार से अपने रूल्ज आफ प्रोसीजर में ऐसा कोई प्रावधान किया जाए कि इस प्रकार के *अमेंडमेंट के रूप में संसद का समय बर्बाद न करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि मैं रेपीटीशन नहीं करना चाहता हूं, सारे प्वाइंट्स जो मेरे थे, वह ट्रेजरी बैंच की तरफ से आ चुके हैं, इसलिए मैं इस संशोधन विधेयक का घोर विरोध करता ।

*Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The Minister.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I want a ruling, Sir, whether my amendment is fraudulent, because the hon. Member has used the word 'fraudulent'. I want your ruling.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The Minister please.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, only two points need be discussed in this House. First is whether we should have more than one member in the Commission; Chairman, and two others. For that as you find, relevant provisions of Article 324 were cited. That provision is there already in the Constitution. But what is the view of the Election Commission on this point? If you like, I can read out one after the other how the Election Commission feels. They have never favoured any addition to the existing number. Chief Election Commission has always been consulted, and we have the opinion of the Chief Election Commission, and the latest one was in October 1986. We had correspondence with them. They feel that it is not necessary to have more than one Chief Election Commission in India and they say it is not because of any other reason but the specific ground is—and I am in agreement with the approach of my predecessors—for the simple reason that a multi-member body may pose problems in effecting proper coordination and taking speedy decisions. This is what the Chief Election Commissions have been saying.

Now, if you correctly appreciate, the Chief Election Commission conducts all the elections to Parliament and Assemblies. Gaining from experience, one after the other, it is for them to make recommendations to us. We have never received any recommendation from the Chief Election Commission that they want an addition of members in the office of the

Chief Election Commission. This is a suggestion from the Opposition and I am very sorry that many parties whose leaders speak here, have been inconsistent in their suggestions. They have different views. Nobody can speak for the other party. Telugu Desam speaks only for itself. But if they speak for Lok Dal, I do not think they can do so because their sand is altogether different on these proposals. Telugu Desam has made no suggestions. They never studied what is needed in the country. Their narrow sphere of operation is in Andhra Pradesh. That is the difficulty .... (*Interruptions*).

PROF. C. LAKSHMANNA: I protest. If he looks at our...

SHRI H. R. BHARDWAJ: They have not made any suggestion. Kindly see. Have you made any suggestion to the Election Commission?

PROF. C. LAKSHMANNA: Why should we make? It has come before Parliament.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Now, the CPI(M) has different opinion about electoral reforms. Lok Dal has altogether different suggestions about that. Our party has always given suggestions and we are discussing them in our Parliamentary party. They have not even read these proposals. I can challenge if any Member of the Opposition knows what the Chief Election Commission has suggested.

PROF. C. LAKSHMANNA: How can we know? That is their document.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I am giving an expression. I am extending an invitation to them to kindly let me know what the Chief Election Commission has said. It is because you are not in touch with them. You are talking about stress and strain... (*Interruptions*)

Now, in regard to electoral reforms, they have an illusion, something in their mind. Now, in regard to booth-capturing, we have said that, we have accepted that, this is an evil and we will see that this is eradicated. We have also said on the floor of the House that we will introduce electronic voting machines. We will see what sort of law will be required in this regard. (*Interruptions*) We will see what reforms are needed. We are in touch with the Election Commission. The Chief Election Commissioner has made some suggestions in regard to curbing the evil of booth-capturing. We have circulated this in our party. But is there any other political party in the country which has discussed these reforms in their party fora? None. This is our stand. They have not suggested anything.

DR. BAPU KALDATE: How can you say that? This is not fair.

SHRI H. R. BHARDWAJ: They have said about Haryana. I would like to submit here. The Chief Minister of West Bengal writes to the Chief Election Commissioner that he wants to have the elections, in February, but CEC dates them sometime in March. He is accommodated and 23rd March is fixed as the date of elections. It is not pushed to June or July. But when the Chief Minister of Haryana writes to the Chief Election Commissioner that he would like to have the elections some two or three months afterwards and if he is accommodated, they feel jealous about it. What is their concern? Are you contesting the elections in Haryana, Mr. Reddy? They are combining just for the sake of opposing our party. Their designs are well-known.

The point is, the question of electoral reforms is altogether different. The present Bill is different. Electoral reforms is a package which we are discussing. So far as this amendment Bill is concerned, it wants the power of appointment of the Chief Election Commissioner to be vested in the Chief

[Shri H. R. Bhardwaj]

Justice of India. Who appoints the Chief Justice of India? It is the President of India who appoints him. The Chief Justice has been given a different sphere of operation under the Constitution. It is none of his function to appoint anybody else. Chief Justices of High Courts have different spheres of operation. They cannot appoint anybody else outside there sphere. They cannot even appoint judges themselves. This is not the scheme of the Constitution, that when you are duty bound to do certain things, you refer it to a different Constitutional functionary. Under the Constitution, judiciary has to perform a different function. We want them to dispose of all the pending cases expeditiously and solve the problems of the people and we are chasing them for that.

The Election Commission has conducted General Elections one after another, in a fair and impartial manner. If there is any fault with us, it lies with we people, the political parties and we should try to reform ourselves. We are accusing the Chief Election Commissioner that he has failed. If he had failed, you would not be sitting in Andhra Pradesh, the CPI(M) would not be sitting in West Bengal and the Janata Party would not be sitting in Karnataka. You should give due credit to the office of the Chief Election Commissioner, and the people of India. It has stood the test of time. In 1977, you were brought to power by the same Election Commission which subsequently brought Mrs. Gandhi back to power. The same Election Commission.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: We were brought by the people of India.

SHRI H. R. BHARDWAJ: This is not fair. You should give due credit. As I said, it has stood the test of time. It has never failed. The failure is somewhere else. Therefore, you cannot find fault with the present arrangement and say that there should be more than one member and so on. It is not going to make any difference.

As I said, we are going to discuss with you the problems of booth-capturing, money power etc. and we will find solutions to these problems. But that is a different question altogether. This amendment is ill-conceived. You want to delegate th epowers of the elected representatives of the people to judges. Is this fair? Are they responsible to hold elections? The judges have not to do anything with holding Elections in democracy. They are concerned with the rule of law. Their sphere of operation is different. They have to protect the Constitution. Therefore, do not abdicate your functions. Kindly withdraw this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Discussion on this Bill is concluded. Mr. Malaviya will reply on the next day allotted for Bills.

5.00 P.M.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Railways Bill, 1986

ADDITIONAL SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 27th February, 1987, has adopted the following motion extending the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Railways Bill, 1986:—

MOTION

"That this House do extend up to the last day of the Monsoon Session,